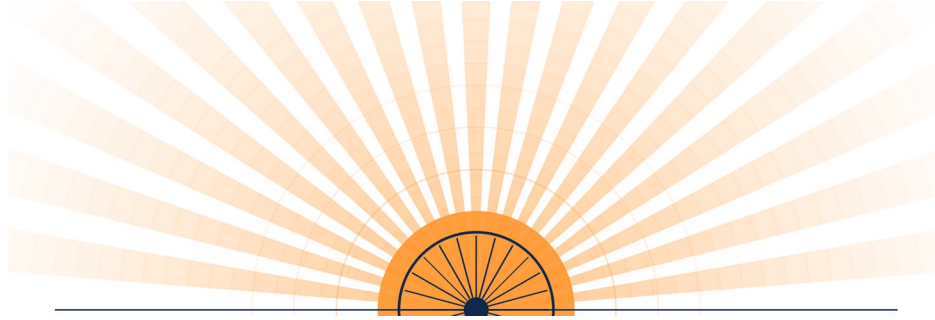




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“लोग कहते हैं, ‘साधन तो आखिर साधन ही हैं।’ मैं कहूँगा, ‘साधन ही आखिर सब कुछ हैं।’ जैसे साधन, वैसा साध्या।”
— महात्मा गांधी, ‘यंग इंडिया’ (17 जुलाई 1924)

द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 2 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan • 2 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“साधन को बीज और साध्य को पेड़ माना जा सकता है; और साधन तथा साध्य के बीच ठीक वैसा ही अटूट संबंध है जैसा बीज और पेड़ के बीच।”

— महात्मा गांधी • ‘हिंद स्वराज’ (1909), अध्याय 16, “पशुबल” (Brute Force) (पाठ mkgandhi.org के अनुसार)

उपयोग करें (Use in): गांधी जयंती और आज का निबंध, “जिस राह पर आप चलते हैं, वही तय करती है कि आप कहाँ पहुँचेंगे।” इसका उपयोग साधन और साध्य, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता तथा नैतिक चिंतकों के योगदान पर सामान्य अध्ययन-4 के उत्तरों में, और सत्ता, न्याय तथा राज्य पर निबंधों में करें। गांधी का आशय यह नहीं कि लक्ष्य मायने नहीं रखते, बल्कि यह कि तरीका परिणाम की बनावट में ही समा जाता है। इसके साथ ऐसे भारतीय उदाहरण दें जहाँ शॉर्टकट ने अपने ही उद्देश्य को हरा दिया: आपातकाल का ज़बरन नसबंदी अभियान, “मुठभेड़” हत्याएँ (सिरपुरकर आयोग ने 2019 की हैदराबाद मुठभेड़ को गढ़ी हुई पाया), और दंडात्मक तोड़फोड़, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2024 में रोक लगाई। तर्क दें कि उचित प्रक्रिया न्याय का हिस्सा है, उसकी बाधा नहीं।

“मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि नैतिक साध्य पाने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग ग़लत है। पर अब मुझे यह भी कहना होगा कि अनैतिक साध्य को बचाए रखने के लिए नैतिक साधनों का प्रयोग भी उतना ही ग़लत है, शायद उससे भी अधिका।”

— मार्टिन लूथर किंग जूनियर • ‘बर्मिंघम जेल से पत्र’ (Letter from Birmingham Jail), 16 अप्रैल 1963 (पाठ पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अफ्रीकन स्टडीज़ सेंटर की साइट के अनुसार)

उपयोग करें (Use in): साधन और साध्य पर आज का निबंध, और मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए थोक में दाखिल फ़ॉर्म 7 की चुनाव आयोग द्वारा आज घोषित जाँच (साफ़ मतदाता सूची एक वैध लक्ष्य है, पर उसे ऐसे तरीकों से भी पाया जा सकता है जो ऐसी सूची छोड़ जाएँ जिस पर किसी को भरोसा न हो)। इसका उपयोग क़ानून और नैतिकता के संबंध तथा प्रक्रियावाद की सीमाओं पर सामान्य अध्ययन-4 के उत्तरों में, और चुनावी शुचिता पर सामान्य अध्ययन-2 के उत्तरों में करें। गांधी के सबसे निष्ठावान शिष्य किंग यह जोड़ते हैं कि सही प्रक्रिया किसी अन्यायपूर्ण लक्ष्य को पवित्र नहीं बना सकती। तर्क दें कि दोनों कसौटियाँ साथ-साथ लागू हों: लक्ष्य न्यायपूर्ण हो, और तरीका ऐसा हो जिसे प्रभावित लोग निष्पक्ष मान सकें।

“लेकिन जहाँ संवैधानिक तरीके उपलब्ध हैं, वहाँ इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके अराजकता के व्याकरण के सिवा कुछ नहीं हैं, और इन्हें जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए, हमारे लिए उतना ही अच्छा है।”

— बी.आर. आंबेडकर • संविधान सभा में भाषण, 25 नवंबर 1949 (संविधान सभा वाद-विवाद / Constituent Assembly Debates, खंड XI)

उपयोग करें (Use in): गांधी जयंती पर आज के निबंध का प्रतिपक्ष: गांधी के सबसे तीखे आलोचक आंबेडकर ने कहा कि सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह औपनिवेशिक शासन में उचित थे, पर उस गणराज्य में नहीं जहाँ वैध रास्ते मौजूद हैं। इसका उपयोग संवैधानिक नैतिकता, विरोध-प्रदर्शन और लोक व्यवस्था पर सामान्य अध्ययन-2 के उत्तरों में, और साधन-साध्य पर सामान्य अध्ययन-4 तथा निबंध में करें: यह स्वयं साधनों के बारे में एक तर्क है, क्योंकि लोकतंत्र में वैध राह पर चलने का दायित्व और बड़ा हो जाता है। इसे राज्य के उतने ही बड़े कर्तव्य से संतुलित करें कि वह उन रास्तों को सचमुच खुला रखे: काम करती अदालतें, स्वतंत्र प्रेस, निष्पक्ष चुनाव आयोग और शांतिपूर्ण असहमति के लिए जगह।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड • पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 4 मिनट

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 निर्वाचन आयोग ने थोक में फॉर्म 7 के ज़रिये नाम कटवाने की जाँच के आदेश दिए, छूटे मतदाताओं के लिए विशेष अभियान
- 1.2 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 50% की सीमा लाँघने पर स्थानीय निकायों में 34% पिछड़ा वर्ग आरक्षण रद्द किया
- 1.3 न्यायिक आयोग ने इंदौर में जलजनित मौतों को रोके जाने योग्य बताया, निविदा में 859 दिनों की देरी को ज़िम्मेदार ठहराया

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 RBI ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों को बैंकों में 10% हिस्सेदारी के लिए एकमुश्त अनुमोदन की छूट दी
- 2.2 आयात से GST का हिस्सा रिकॉर्ड 32.2% पर पहुँचा, घरेलू हिस्सा घटकर 67.8% रह गया

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 G20 व्यापार मंत्रियों ने “खाद्य के शस्त्रीकरण” पर वक्तव्य का समर्थन किया, भारत ने सार्वजनिक भंडारण का बचाव किया

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 दिसानायके के दो वर्ष बाद श्रीलंका में स्थिरता लौटी, पर नया संविधान और PTA का निरसन अटका हुआ

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 केंद्र ने संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन दस गुना बढ़ाने और सुनिश्चित खरीद की गारंटी देने के लिए ₹23,731 करोड़ की गोबरधन योजना शुरू की
- 5.2 केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के यह कहने पर कि मध्य प्रदेश वन विभाग का CFR निर्देश वन अधिकार अधिनियम के विरुद्ध है, राज्य ने उसे स्थगित रखा

6. स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 6.1 कर्नाटक ने पाया कि अस्पताल 52 गुना तक सस्ती खरीदी दवाओं पर लगभग MRP वसूल रहे हैं

7. समाज (Society)

- 7.1 जनगणना 2027 की हिंदी अधिसूचना में दिव्यांगता के लिए “निःशक्तता” शब्द; महापंजीयक ने इसे भूलवश हुआ बताया

8. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- 8.1 फ़्लाईडुबई कॉकपिट में चाकूबाज़ी के बाद भारत ने विमानन कर्मचारियों के लिए चेहरा पहचान और बाँड़ी स्कैनर अनिवार्य किए

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 केस 1 — तीन लगभग एक-जैसे प्रमाण-पत्र, और वह अधिकारी जिसे असली बच्चे की रक्षा करनी है
- 9.2 केस 2 — काफ़िले की प्रतीक्षा करती एम्बुलेंस

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 10 18 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

- 11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.2
- 11.2 GS1 कोना — History: चंपारण 1917: भारत में गांधीजी का पहला सत्याग्रह
- 11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (4)
- 11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): जवाबदेही और ‘अनेक हाथों’ की समस्या (Accountability and the problem of many hands)
- 11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

- 12.1 जिस राह पर आप चलते हैं, वही तय करती है कि आप कहाँ पहुँचेंगे।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.1	चुनाव आयोग थोक में दाखिल फॉर्म 7 आपत्तियों की जाँच करेगा, छूटे मतदाताओं के लिए अभियान का आदेश क्यों ज़रूरी: GS2, चुनाव: फॉर्म 6/7/8, नियम 20 के अंतर्गत जाँच, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 और अनुच्छेद 324 प्रारंभिक परीक्षा के लिए; नाम हटाए जाने बनाम मताधिकार का प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए।
2.2	आयात से GST संग्रह का रिकॉर्ड 32.2% हिस्सा क्यों ज़रूरी: GS3, संसाधन जुटाना: आयात पर IGST, सकल बनाम शुद्ध GST और 7 अक्टूबर की GST परिषद बैठक प्रारंभिक परीक्षा की संभावित सामग्री हैं।
3.1	G20 वक्तव्य में खाद्य के शस्त्रीकरण पर चिंता; भारत ने सार्वजनिक भंडारण का बचाव किया क्यों ज़रूरी: GS3, खाद्य सुरक्षा और WTO: सार्वजनिक भंडारण, शांति खंड (पीस क्लॉज़) और निर्यात प्रतिबंध 15 अंकों का तैयार प्रश्न बनाते हैं।
5.2	जनजातीय मंत्रालय की आपत्ति के बाद मध्य प्रदेश ने वन विभाग का CFR निर्देश स्थगित किया क्यों ज़रूरी: GS2/GS3, जनजातीय अधिकार: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 में दावों का प्राधिकारी ग्राम सभा है, वन विभाग नहीं; प्रारंभिक परीक्षा का पसंदीदा विषय।
6.1	कर्नाटक में सस्ते में खरीदी गई दवाओं पर अस्पताल लगभग MRP वसूलते पाए गए क्यों ज़रूरी: GS2, स्वास्थ्य: प्रारंभिक परीक्षा के लिए NPPA और MRP; कारखाने के द्वार पर ही रुक जाने वाला मूल्य नियंत्रण 10 अंकों के प्रश्न के लिए उपयुक्त है।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

तीनों खबरें एक ही दरार की ओर इशारा करती हैं — कागज़ पर मिले अधिकार और उसे पहुँचाने वाली मशीनरी के बीच की दरार किसी अजनबी के आपत्ति-प्रपत्र से एक मतदाता का वोट कट सकता है; राज्य ने पिछड़ेपन को मापने के बजाय लोगों को गिन लिया तो आरक्षण गिर सकता है, और एक फ़ाइल जब “चर्चा” के इंटरज़ार में 64 दिन पड़ी रहे तो शहर का नल का पानी जानलेवा बन सकता है। तीनों जगह कानून पर्याप्त था; कमी प्रक्रिया, ऑकड़ों या अभिलेख-संधारण में थी।

1.1 निर्वाचन आयोग ने थोक में फ़ॉर्म 7 के ज़रिये नाम कटवाने की जाँच के आदेश दिए, छूटे मतदाताओं के लिए विशेष अभियान

मुद्दा मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) (कडी 10) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) हर मतदाता का सत्यापन पिछली गहन मतदाता सूची से करता है। दो निर्वाचन आयुक्तों ने बदले गए फ़ॉर्म 6 पर आपत्ति जताई; कर्नाटक के बाबलेश्वर में 10 लोगों ने एक ही दिन में 1,363 आपत्तियाँ दाखिल कीं।

समाचार (THE NEWS) बंगलुरु और नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के पाँच घंटे के धरने के बाद निर्वाचन आयोग (Election Commission — EC) ने कर्नाटक में थोक में दाखिल फ़ॉर्म 7 की जाँच के आदेश दिए। फ़ॉर्म 7 वह प्रपत्र है जिससे मतदाता सूची में किसी नाम पर आपत्ति की जाती है। द हिंदू के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अनबु कुमार ने निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (EROs) को निर्देश दिया कि जो लोग “जानबूझकर” झूठी घोषणा करते हैं, उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 31 के तहत कार्रवाई करें, किंतु निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) के नियम 20 के तहत जाँच के बाद ही। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 29 सितंबर के आयोग के पत्र में उन 20 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में “छूटे हुए” तथा पहली बार के मतदाताओं को सादे फ़ॉर्म 6 पर पंजीकृत करने के लिए “विशेष अभियान” का आदेश है, जहाँ SIR पूरा हो चुका है; मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को SIR से पहले और बाद की मतदाता सूचियों का मिलान करना है और ग़लत तरीके से नाम कटे लोगों के घर बूथ अधिकारियों को भेजना है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

SIR 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रारूप सूचियों से 13 करोड़ नाम हटाता है → नियम किसी भी निर्वाचक को किसी भी प्रविष्टि पर आपत्ति की छूट देते हैं → पहले से भरे फ़ॉर्म 7 विशेष समुदायों के विरुद्ध थोक में दाखिल होते हैं → मुख्यमंत्री का धरना जाँच के लिए बाध्य करता है → आयोग फ़ॉर्म 6 से वापसी का रास्ता खोलता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1960 के नियमों में किसी भी नाम को हटाने से पहले नोटिस और जाँच अनिवार्य है — निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत फ़ॉर्म 6 नाम जोड़ने का दावा है, फ़ॉर्म 7 किसी प्रविष्टि पर आपत्ति है और फ़ॉर्म 8 सुधार का प्रपत्र है। जिस व्यक्ति पर आपत्ति की गई है, उसे सुनवाई का नोटिस मिलता है (नियम 19) और ERO संक्षिप्त जाँच करता है (नियम 20), जिसमें वह शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। - धारा 31 झूठी घोषणा को दंडित करती है; अनुच्छेद 324 मतदाता सूची को आयोग का दायित्व बनाता है — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अनुसार मतदाता सूची के बारे में ऐसा लिखित कथन, जिसे कथन करने वाला झूठा जानता या मानता है, एक वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडनीय है। अनुच्छेद 324 मतदाता सूचियों की तैयारी का अधीक्षण निर्वाचन आयोग को सौंपता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	मतदाता सूची पुनरीक्षण अब GS-2 के चुनाव संबंधी पाठ्यक्रम का जीवंत मुद्दा है — पाठ्यक्रम में “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ” का उल्लेख है। चुनाव सुधारों पर प्रश्न अब अधिकाधिक इस पर टिकते हैं कि किसका नाम सूची से हटाया जा सकता है और किस प्रक्रिया से।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत फ़ॉर्म 7 का प्रयोग मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति करने या उसे हटाने की माँग के लिए होता है। - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 मतदाता सूची से संबंधित जानबूझकर की गई झूठी घोषणा पर एक वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों का दंड देती है। - अनुच्छेद 324 मतदाता सूचियों की तैयारी का दायित्व निर्वाचन आयोग को सौंपता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	- व्यवस्था नाम कटवाना सस्ता और नाम वापस जुड़वाना महंगा बना देती है — फ़ॉर्म 7 भरने में बस एक हस्ताक्षर लगता है; उसका जवाब देने में मतदाता को दस्तावेज़ जुटाने पड़ते हैं और शायद सुनवाई में भी जाना पड़ता है। याचिकाकर्ता प्रसेनजीत बोस द्वारा उद्धृत आयोग के हलफ़नामे के अनुसार पश्चिम बंगाल में 6,39,000 फ़ॉर्म 7 में से लगभग 90% स्वीकार किए गए, जबकि फ़ॉर्म 6 में से पाँचवें हिस्से से अधिक अस्वीकार हुए। जब एक पक्ष के लिए काम आसान और दूसरे के लिए कठिन हो, तो अधिकारी सद्भाव से काम करें तब भी नतीजे झुक जाते हैं। - लेंस — स्वतंत्रता और जवाबदेही: आयोग निवारण का काम किसी और पर नहीं छोड़ सकता

	— पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा के अनुसार धारा 31 का शायद ही कभी प्रयोग हुआ है और आयोग अपनी प्राथमिकियों (FIR) का पीछा बहुत कम करता है, इसलिए झूठी आपत्तियाँ व्यवहार में मुफ्त हैं। प्रतिपक्ष का तर्क है कि संदिग्ध प्रविष्टि की ओर ध्यान दिलाना नागरिक का अधिकार है। विवेकशील अधिकारी पहले जाँच करेगा, केवल सिद्ध और जानबूझकर किए गए झूठ पर अभियोजन चलाएगा और आँकड़े प्रकाशित करेगा — लवासा के प्रस्तावित, चुनाव संबंधी अपराधों के अलग NCRB डेटासेट के माध्यम से। 3. विशेष अभियान त्रुटि स्वीकार करता है, पर सूचियाँ कमज़ोर आधार पर दोबारा बनाता है — SIR से पहले और बाद की सूचियों का मिलान इस बात की स्वीकृति है कि पात्र लोग हटा दिए गए थे। फिर भी वे फॉर्म 6 के जरिये नए मतदाता की तरह लौटते हैं, और दलों के एजेंटों से सहायता माँगी जाती है, जिससे दलगत हस्तक्षेप फिर आ जाता है। इसकी कसौटी यह है कि बूथ-दर-बूथ कितने नाम बहाल हुए, और यह आँकड़ा प्रकाशित हो।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“नाम हटाना आसान और दोबारा शामिल करना कठिन बना देना वयस्क मताधिकार के लिए खतरा है।” मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान हाल में दाखिल आपत्तियों के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — दोनों पक्षों को तौलिए और निष्कर्ष पर पहुँचिए। 2. भूमिका — मताधिकार का भविष्य सूची की प्रक्रिया पर टिका है — अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का वचन देता है; सूची में कौन रहेगा, यह 1960 के नियम तय करते हैं। 3. मुख्य भाग — आपत्ति की लागत कम है और बोझ मतदाता पर पड़ता है — मूल्यवर्धन: पश्चिम बंगाल में फॉर्म 7 की लगभग 90% स्वीकृति; कर्नाटक में थोक में दाखिल आपत्तियाँ। 4. मुख्य भाग — सुरक्षा-उपाय हैं, पर लागू नहीं होते — नियम 20 और धारा 31; प्रतिपक्ष: वास्तविक आपत्तियाँ सूची को साफ़ करती हैं। फ़्लोचार्ट: फॉर्म 7 → प्रदर्शन → नोटिस → नियम 20 की जाँच → आदेश → अपील। 5. निष्कर्ष — नाम हटाने को भी नाम जोड़ने जितना जवाबदेह बनाइए — थोक में आपत्ति करने वालों के लिए बूथ-स्तर पर प्रकटीकरण और जाँच; विशेष अभियान एक शुरुआत है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप एक ERO हैं। खिड़की बंद होने से कुछ घंटे पहले, दस लोगों की ओर से एक ही समुदाय के मतदाताओं के विरुद्ध 1,000 फॉर्म 7 आते हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं केवल फॉर्मों के आधार पर कोई नाम नहीं हटाऊँगा। हर मतदाता को नोटिस मिलेगा और मैं नियम 20 के तहत जाँच करूँगा, जिसमें आपत्तिकर्ताओं से शपथ पर कहलवाऊँगा कि वे तथ्यों को जानते हैं। जो आपत्ति सिद्ध न कर सकें, या फॉर्म भरने से इनकार करें, उन्हें धारा 31 की कार्रवाई के लिए भेजूँगा। मैं इस पैटर्न की लिखित रिपोर्ट ज़िला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दूँगा, क्योंकि थोक में फॉर्म भरना संगठित दुरुपयोग का संकेत है।

1.2 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 50% की सीमा लौघने पर स्थानीय निकायों में 34% पिछड़ा वर्ग आरक्षण रद्द किया

मुद्दा Reservation in local bodies (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता • स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी अनुच्छेद 243(6) और 243(6) राज्यों को स्थानीय निकायों की सीटें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने देते हैं, किंतु 2021 से सर्वोच्च न्यायालय की त्रिस्तरीय कसौटी के लिए समर्पित आयोग, स्थानीय निकाय-वार आँकड़े और कुल 50% की सीमा आवश्यक है।

समाचार (THE NEWS) विजयवाड़ा, 1 अक्टूबर। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ — मुख्य न्यायाधीश लिसा गिल और न्यायमूर्ति चल्ला गुणरंजन — ने सरकारी आदेश 105 और 1065 रद्द कर दिए, जिनमें पंचायती राज संस्थाओं में 34% और शहरी स्थानीय निकायों में 33.33% सीटें पिछड़े वर्गों (BCs) को दी गई थीं, क्योंकि कुल आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय की 50% की सीमा पार कर गया था। न्यायालय ने कहा कि राज्य के एकीकृत पारिवारिक सर्वेक्षण के आँकड़े पिछड़े वर्ग के आरक्षण का आधार नहीं हो सकते, और राज्य को विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य (Vikas Kishanrao Gawali v. State of Maharashtra) में अपेक्षित आँकड़े जुटाकर नया हिस्सा तय करने की छूट दी। उसने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया यथासंभव छह सप्ताह के भीतर शुरू करें, और जोड़ी कि SIR चुनाव टालने का औचित्य नहीं हो सकता। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पिछड़े वर्गों को जनसंख्या का 50.54% बताते हुए उनका आरक्षण 20% से बढ़ाया था।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

73वाँ और 74वाँ संशोधन राज्यों को स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने देते हैं → सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण पर 50% की सीमा लगाता है और 2021 में त्रिस्तरीय कसौटी जोड़ता है → आंध्र प्रदेश पिछड़े वर्गों का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 34% करता है → वह समर्पित आयोग के बजाय घरेलू सर्वेक्षण पर निर्भर रहता है → उच्च न्यायालय आदेश रद्द कर चुनाव कराने को कहता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण सक्षमकारी है, अनिवार्य नहीं — अनुच्छेद 243घ(6) राज्य विधानमंडल को पंचायतों की सीटें और अध्यक्ष पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है; अनुच्छेद 243त(6) नगरपालिकाओं के लिए यही करता है। जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग ये चुनाव अनुच्छेद 243ट और 243यक के तहत कराते है। 2. स्थानीय निकायों में OBC कोटे पर त्रिस्तरीय कसौटी लागू होती है — के. कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ (K. Krishna Murthy v. Union of India, 2010) ने इन प्रावधानों को वैध ठहराया, पर कहा कि राजनीतिक पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से भिन्न है। विकास किशनराव गवली (2021) ने त्रिस्तरीय कसौटी तय की: समर्पित आयोग की समकालीन अनुभवजन्य जाँच, उसकी सलाह पर स्थानीय निकाय-वार कोटा, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा OBC की सीटें मिलाकर 50% से अधिक नहीं।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. स्थानीय शासन को शक्तियों के हस्तांतरण और उनके क्रियान्वयन के अंतर से परखा जाता है — GS-2 पाठ्यक्रम में “स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ” शामिल है। चुनाव को रोक देने वाले आरक्षण-विवाद ठीक ऐसी ही चुनौती हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 243घ(6) और 243त(6) राज्यों को पंचायतों और नगरपालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाते हैं, बाध्य नहीं करते। ● इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (Indra Sawhney v. Union of India, 1992) की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि आरक्षण सामान्यतः 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। ● अनुच्छेद 243ड और 243यच के अंतर्गत पंचायतों और नगरपालिकाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष है, और चुनाव उसकी समाप्ति से पहले पूरे हो जाने चाहिए।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. न्यायालय को आपत्ति केवल संख्या पर नहीं, पद्धति पर थी — पारिवारिक सर्वेक्षण यह गिनता है कि कितने लोग किसी समूह के हैं; वह यह नहीं दिखाता कि वह समूह किसी परिषद या वार्ड में अल्प-प्रतिनिधित्व वाला है या नहीं। त्रिस्तरीय कसौटी दूसरा प्रश्न पूछती है, क्योंकि राजनीतिक पिछड़ापन अलग चीज़ है। 50.54% जनसंख्या-हिस्से का हवाला देने वाला राज्य उस प्रश्न का उत्तर दे रहा है जो संविधान पूछता ही नहीं, इसीलिए न्यायालय ने नए और उचित अध्ययन की गुंजाइश छोड़ी। 2. लेंस — विकास और समता: 50% की कठोर सीमा प्रतिनिधित्व से असहज बैठती है — नौकरियों में सीमा पदों के निश्चित समूह के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की रक्षा करती है; स्थानीय निकायों में सीट का अर्थ आवाज़ है, और जो समूह आधी जनसंख्या है, वह पाँचवें हिस्से से अधिक सीटों का दावा उचित रूप से कर सकता है। प्रतिपक्ष का तर्क है कि सीमा के बिना आरक्षण वोट-बैंक की नीलामी बन जाता है, जिस पर प्रभुत्वशाली पिछड़ी जातियाँ कब्ज़ा कर लेती हैं। विवेकशील अधिकारी वार्ड-स्तर के आँकड़े बनाएंगा और उप-वर्गीकरण पर विचार करेगा, ताकि वैध आरक्षण सबसे कमज़ोर समूहों तक पहुँचे। 3. चुनावों को टलने न देना स्थानीय लोकतंत्र की ही रक्षा है — जब कार्यकाल समाप्त हो जाते हैं, तो नियुक्त विशेष अधिकारी गाँव और शहर चलाते हैं और 73वें संशोधन का निर्वाचित स्वशासन का वचन स्थगित हो जाता है। SIR और परिसीमन को बहाना मानने से इनकार करके न्यायालय ने समय पर चुनाव को अनुच्छेद 243ड और 243यच के तहत संवैधानिक कर्तव्य माना। आरक्षण के विवाद चुनाव रोके बिना सुलझाए जाने चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	क्या स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की ‘त्रिस्तरीय कसौटी’ प्रतिनिधित्व का सुरक्षा-कवच है या उसकी बाधा? टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — टिप्पणी कीजिए — संक्षिप्त कारणों और प्रतिपक्ष के साथ स्पष्ट मत दीजिए। 2. भूमिका — स्थानीय निकायों के कोटे का आधार अनुच्छेद 243घ(6) और 243त(6) हैं — गवली त्रिस्तरीय कसौटी (2021) पर एक पंक्ति। 3. मुख्य भाग — सुरक्षा-कवच, क्योंकि यह राजनीतिक पिछड़ेपन के आँकड़े माँगती है — मूल्यवर्धन: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पारिवारिक सर्वेक्षण को आधार मानने से इनकार किया। 4. मुख्य भाग — बाधा, जब राज्यों के पास आँकड़े न हों और चुनाव टलें — तीन खाने बनाइए: समर्पित आयोग → स्थानीय निकाय-वार कोटा → 50% की सीमा की जाँच। 5. निष्कर्ष — कसौटी रखिए, आयोगों को संसाधन दीजिए — वार्ड-स्तर के आँकड़ों वाले स्थायी

	आयोग कसौटी को सहायक बना देते हैं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. पंचायती राज के प्रधान सचिव के रूप में कोटा रद्द होने के बाद आपको छह सप्ताह के भीतर चुनाव शुरू कराने हैं। आप क्या सलाह देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं सलाह दूँगा कि चुनाव समय पर हों और पिछड़े वर्गों का आरक्षण 50% की सीमा के भीतर नए सिरे से तय किया जाए, ताकि आदेश का पालन हो और निर्वाचित निकाय बहाल हों। साथ ही मैं एक समर्पित आयोग गठित करने का प्रस्ताव दूँगा, जिसे निकाय-दर-निकाय राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा दी जाए, ताकि वह अगले चक्र का मार्गदर्शन करे। मैं सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करूँगा कि यह राज्य की प्रतिबद्धता को घटाना नहीं, बल्कि उसे क्रमबद्ध करना है।

1.3 न्यायिक आयोग ने इंदौर में जलजनित मौतों को रोके जाने योग्य बताया, निविदा में 859 दिनों की देरी को ज़िम्मेदार ठहराया

मुद्दा Urban water safety and accountability (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • विधि का शासन और विवेकाधिकार

अब तक की कहानी दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित नल के पानी से 100 से अधिक लोग बीमार हुए और 30 से अधिक की मृत्यु हुई, जबकि इंदौर लगातार आठ वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित होता रहा है।

समाचार (THE NEWS) भोपाल, 1 अक्टूबर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता के एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग ने उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ को बताया है कि भागीरथपुरा में हुई मौतें रोकी जा सकती थीं, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार। पेयजल प्रणाली में सीवेज घुस गया था; मूल कारण यह था कि सीवर और जल लाइनें समानांतर, एक-दूसरे को काटती हुई और कहीं-कहीं सीवर जल-पाइप के ऊपर से गुजरता था। एक पाइपलाइन परियोजना में निविदा से पूर्णता तक 859 दिन लगे; एक फ़ाईल पर “चर्चा” के लिए 64 दिन की प्रतीक्षा से 72 दिन की देरी हुई। आयोग ने तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोनिया और इंदौर नगर निगम के कार्यपालक अभियंता संजीव श्रीवास्तव को “मुख्य रूप से ज़िम्मेदार” ठहराया है और दो IAS आयुक्तों को दोषमुक्त किया है। प्रदूषण बोर्ड के 52 नमूनों में से 50 में कोलीफॉर्म और 40 में ई. कोलाई मिला, जो मल से आने वाले जीवाणु हैं। रिपोर्ट अस्पताल के अभिलेखों के आधार पर 22 मौतों को जोड़ती है और इस त्रासदी को दशकों की विफलताओं का “संचयी परिणाम” कहती है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

दशकों पहले सीवर और जल नेटवर्क साथ-साथ बिछाए जाते हैं → दोनों परियोजनाओं के अभिलेख गुम हो जाते हैं → पाइप बदलने का काम निविदाओं और स्वीकृतियों में अटकता है → सीवेज पीने के पानी में रिसता है → प्रकोप से 30 से अधिक मौतें होती हैं और न्यायिक आयोग ज़िम्मेदारी तय करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. जल आपूर्ति राज्य सूची का विषय है, जिसे नगरपालिकाएँ पूरा करती हैं — राज्य सूची की प्रविष्टि 17 जल आपूर्ति को कवर करती है। 74वें संशोधन ने अनुच्छेद 243ब और बारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसकी मद 5 घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति है। सर्वोच्च न्यायालय सुरक्षित पेयजल के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल मानता है। 2. भारत में पेयजल का बाध्यकारी मानक है और शहरी नलों के लिए एक मिशन भी — भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) का IS 10500:2012 कहता है कि किसी भी 100 मिली नमूने में कुल कोलीफॉर्म और ई. कोलाई पता लगाने योग्य नहीं होने चाहिए। 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) सभी सांविधिक नगरों में जल आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य रखता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. शहरी सेवाओं को केवल धन के नहीं, जवाबदेही के प्रश्न के रूप में परखा जाता है — GS-2 पाठ्यक्रम में “शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू” शामिल हैं। प्रशासनिक देरी से हुई मौतें नगरपालिका क्षमता पर प्रश्नों के लिए सशक्त सामग्री हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची की मद 5 घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति को नगरपालिका का कार्य बताती है। ● भारतीय मानक ब्यूरो के IS 10500:2012 के अंतर्गत पेयजल के किसी भी 100 मिली नमूने में कुल कोलीफॉर्म और ई. कोलाई पता लगाने योग्य नहीं होने चाहिए। ● अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को सभी सांविधिक नगरों में जल आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. फ़ाईल में देरी भी टूटे पाइप जितनी जानलेवा हो सकती है — इंदौर का पानी किसी ने ज़हरीला नहीं किया; खतरा इस बात में था कि बदलाव का काम निविदाओं और स्वीकृतियों में धीरे-धीरे सरकता रहा। एक शब्द की टिप्पणी “चर्चा करें” का 64 दिन पड़े रहना दिखाता है कि जब संपत्ति जन-स्वास्थ्य की प्रणाली हो, तो समय पर अनियंत्रित विवेकाधिकार जोखिम बन जाता है।

	फ़ाइलों का समयबद्ध निपटारा, और समय-सीमा बीतने पर स्वतः ऊपर भेजे जाने की व्यवस्था, इंजीनियरिंग जितनी ही ज़रूरी है। 2. लेंस — स्वतंत्रता और जवाबदेही : फ़ाइलों की कड़ी हस्ताक्षर करने वाले को पकड़ती है, डिज़ाइन करने वाले को नहीं — आयोग ने उन अधिकारियों के नाम बताए जिनकी देरी दर्ज है, पर नेटवर्क बिछाने वालों का पता नहीं लगा सका, क्योंकि 1990-95 और 1999-2004 के अभिलेख गुम हैं। दोष मध्यम स्तर के अधिकारियों पर पड़ता है जबकि पहले के योजनाकार बच निकलते हैं। प्रतिपक्ष का तर्क है कि न्यायाधीश को पद नहीं, साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष देना होता है। विवेकशील सरकार सिद्ध देरी को दंडित करेगी और अभिलेखों के खो जाने को कदाचार मानेगी, ताकि गायब फ़ाइल कभी किसी निर्णय को ढाल न दे सके। 3. 'सबसे स्वच्छ शहर' का पानी भी असुरक्षित हो सकता है, क्योंकि रैंकिंग केवल ऊपरी सतह देखती है — स्वच्छता रैंकिंग कचरा संग्रह और साफ़ सड़कों जैसे दिखने वाले नतीजों को पुरस्कृत करती है। ज़मीन के नीचे के पाइप, सीवर और जल लाइनों के बीच की दूरी और नियमित जीवाणु-परीक्षण उसे दिखते ही नहीं, और शहर उसी को सुधारता है जिस पर उसे आँका जाता है। IS 10500 के विरुद्ध वार्ड-वार, प्रकाशित जल-सुरक्षा लेखा-परीक्षा इस अंधे बिंदु को बंद करेगी।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत में शहरी जल आपदाएँ शायद ही कभी किसी एक लापरवाही का परिणाम होती हैं। इंदौर जाँच के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — विश्लेषण कीजिए — विफलता को हिस्सों में बाँटिए और दिखाइए कि वे कैसे मिलकर काम कर गए। 2. भूमिका — आयोग ने भागीरथपुरा को 'संचयी' विफलता कहा — देश के सबसे स्वच्छ शहर में पेयजल में सीवेज मिलने से 30 से अधिक मौतें। 3. मुख्य भाग — सबसे पहले योजना विफल हुई: सीवर और जल लाइनों साथ-साथ बिछीं — मूल्यवर्धन: IS 10500 की शून्य सहनशीलता के विरुद्ध 52 में से 50 नमूनों में कोलीफॉर्म। 4. मुख्य भाग — फिर प्रक्रिया विफल हुई: निविदाओं में 859 दिन, एक फ़ाइल पर 64 दिन — समय-रेखा बनाइए: निविदा → "चर्चा" अंकित फ़ाइल → 64 दिन की प्रतीक्षा → स्वीकृति → पूर्णता। 5. मुख्य भाग — अंत में स्मृति विफल हुई: गुम अभिलेख पुराने निर्णयकर्ताओं को बचाते हैं — जिम्मेदारी मध्यम स्तर के अधिकारियों पर आकर रुक जाती है। 6. निष्कर्ष — समयबद्ध फ़ाइलें, मानचित्रित नेटवर्क, प्रकाशित जल-परीक्षण — ये जवाबदेही को दोषारोपण से निवारण में बदल देते हैं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. इस रिपोर्ट के जारी होने के सप्ताह में ही आप इंदौर नगर निगम के आयुक्त का पद संभालते हैं। आपके पहले क़दम क्या होंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं हर उस वार्ड में जीवाणु-परीक्षण का आदेश दूँगा जहाँ सीवर और जल लाइनों साथ-साथ चलती हैं, परिणाम प्रकाशित करूँगा, और जहाँ नमूने विफल हों वहाँ सुरक्षित पानी की आपूर्ति कराऊँगा। मैं जल और सीवेज की हर फ़ाइल के लिए समय-सीमा तय करूँगा, जिसमें विलंब होने पर स्वतः मेरे पास मामला आएगा। मैं दोनों नेटवर्कों को GIS पर मानचित्रित कराऊँगा और खोए अभिलेखों की जाँच का आदेश दूँगा। नामित अधिकारियों पर कार्रवाई नियमों के अनुसार होगी, पर कर्मचारियों को मेरा संदेश यही होगा कि लक्ष्य निवारण है।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज की दोनों खबरें इस बात से जुड़ी हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में पैसा कौन लगा रहा है और इससे राज्य (State) की स्थिति के बारे में क्या पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) जमा बचतों के पूल को बैंकों का बड़ा स्वामी बनने की राह आसान कर रहा है, पर अपनी वीटो-शक्ति उसने बनाए रखी है। सितंबर के GST ऑकड़ बताते हैं कि कर-आधार भारतीयों की आपसी खरीद से ज्यादा आयात पर टिका है। दोनों में शीर्षक सेहतमंद दिखता है; विद्यार्थी को उसके नीचे की संरचना पढ़नी है।

2.1 RBI ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों को बैंकों में 10% हिस्सेदारी के लिए एकमुश्त अनुमोदन की छूट दी

मुद्दा Who may own India's banks (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य • स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी किसी भारतीय बैंक में 5% या उससे अधिक हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI का पूर्व अनुमोदन और “उपयुक्त एवं उचित” (fit and proper) कसौटी पास करना ज़रूरी है; जुलाई 2026 में RBI ने संस्थागत फंडों के लिए इसमें ढील का प्रस्ताव रखा था।

समाचार (THE NEWS) मुंबई। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुरुवार, 1 अक्टूबर को अंतिम दिशानिर्देश जारी किए, जिनके तहत म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ और पेंशन फंड बैंकों में 10% तक इक्विटी हासिल करने के लिए “एकमुश्त अनुमोदन” ले सकेंगे; इस तरह जुलाई के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। कोई बैंक अपने प्रवर्तक समूह के किसी पात्र व्यक्ति की ओर से भी आवेदन कर सकता है। 10% की गणना “समग्र आधार” पर होगी, यानी एक इकाई की सारी धारिताएँ जोड़कर गिनी जाएँगी। पहली खरीद के बाद, जब भी शेयरधारक की हिस्सेदारी चुकता पूँजी या मताधिकार के 5% की सीमा को ऊपर या नीचे पार करे, उसे तीन कार्य-दिवसों के भीतर RBI और बैंक को सूचित करना होगा। शर्तों के उल्लंघन पर, या निवेशक अथवा उसके किसी सहयोगी के बाद में “उपयुक्त एवं उचित” न पाए जाने पर, RBI अनुमोदन रद्द कर सकता है। पहले, जिस निवेशक की हिस्सेदारी 5% से नीचे चली जाती थी, उसे दोबारा खरीदने के लिए नया अनुमोदन लेना पड़ता था। पाठ्यक्रम से संबंध: GS3 में बैंकिंग विनियमन।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

ऋण बढ़ने के साथ बैंकों को पूँजी चाहिए → फंड बैंक शेयरों के स्वाभाविक खरीदार हैं → ट्रेडिंग से हिस्सेदारी बार-बार 5% की रेखा पार करती है → हर बार नए अनुमोदन की ज़रूरत थी → अब 10% तक एक अनुमोदन, और निगरानी रिपोर्टिंग से

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 12B बैंक के स्वामित्व पर द्वार-रक्षक है — बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act) की धारा 12B के अनुसार किसी की भी कुल हिस्सेदारी जब बैंक के शेयरों या मताधिकार के 5% या अधिक तक पहुँचे, उससे पहले RBI का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। बैंकारी कंपनियों में शेयरों या मताधिकार के अधिग्रहण और धारण पर RBI का 16 जनवरी 2023 का मास्टर निदेश गैर-वित्तीय निवेशकों की सीमा 10%, अधिकांश वित्तीय संस्थाओं की 15% और प्रवर्तकों की 15 वर्ष बाद 26% तय करता है।
2. बैंकों में शेयर और मत जान-बूझकर अलग रखे गए हैं — अधिनियम की धारा 12(2) एक शेयरधारक द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले मताधिकार की सीमा तय करती है, जिसे RBI ने 26% रखा है। बैंक मुख्यतः जमाकर्ताओं के धन पर चलता है, इसलिए कोई प्रभावशाली स्वामी ऋण अपनी ही कंपनियों की ओर मोड़ सकता है (संबद्ध ऋण, connected lending) या ऐसे जोखिम उठा सकता है जिनकी कीमत जमाकर्ता चुकाएँ। “उपयुक्त एवं उचित” कसौटी निवेशक की सत्यनिष्ठा, पिछले रिकॉर्ड और धन के स्रोत की जाँच करती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. बैंकों का स्वामित्व और शासन GS3 में बार-बार आते हैं — पाठ्यक्रम की पंक्ति “भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों के जुटाने से संबंधित विषय” में यह भी आता है कि बैंक पूँजी कैसे जुटाते हैं; यह नियम दिखाता है कि नियामक पूँजी का प्रवाह आसान करता है, पर वोटो अपने पास रखता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12B के अनुसार किसी बैंक की चुकता पूँजी या मताधिकार का 5% या अधिक अर्जित करने के लिए RBI का पूर्व अनुमोदन ज़रूरी है।
- RBI के 2023 के मास्टर निदेश के तहत गैर-वित्तीय निवेशक किसी बैंक में 10% तक, विनियमित वित्तीय संस्थाएँ 15% तक और प्रवर्तक 15 वर्ष बाद 26% तक हिस्सेदारी रख सकते हैं।
- “संबद्ध ऋण” (connected lending) का अर्थ है बैंक द्वारा अपने ही स्वामियों से जुड़ी इकाइयों को ऋण देना।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. यह नियम उस लागत को हटाता है जिससे कोई सुरक्षा नहीं मिलती थी — कोई फंड रोज़ बैंक शेयरों का कारोबार करता है, इसलिए उसकी हिस्सेदारी साल में कई बार 5% पार कर सकती है; हर बार नया अनुमोदन लेने से कागज़ी काम बढ़ता था, पर पहले से जाँचे हुए फंड के बारे में कोई नई जानकारी नहीं मिलती थी। एक अनुमोदन और तीन दिन में रिपोर्टिंग से RBI कम लागत पर

	सूचित रहता है: यह पूर्व-अनुमति से बाद की निगरानी की ओर बदलाव है। 2. दृष्टि — बाज़ार और राज्य: दरवाज़ा विविध पूँजी के लिए खुलता है, नियंत्रक स्वामियों के लिए नहीं — तनाव बाज़ार-पूँजी और जमाकर्ता की सुरक्षा के बीच है। RBI स्वामी का चयन करके इसे सुलझाता है: फंड दूसरों की बचत रखते हैं, SEBI, IRDAI या PFRDA के प्रति जवाबदेह होते हैं और बैंक चलाना शायद ही चाहते हैं, जबकि 26% की मताधिकार-सीमा नियंत्रण को फिर भी रोकती है। एक विचारशील अधिकारी इसे उचित ढील कहेगा, पर एक ही समूह के कई फंडों के मिलकर काम करने पर नज़र रखेगा, और इसीलिए सीमा “समग्र आधार” पर गिनी जाती है। 3. कमज़ोर कड़ी है पैसा लग जाने के बाद अनुमोदन रद्द करना — 10% हिस्सेदारी को बेचने के लिए बाध्य करने से बैंक के शेयर का भाव गिर सकता है, इसलिए रद्दीकरण एक भोंथरा औज़ार है। यह सुधार सतत पर्यवेक्षण पर टिका है, जिसे यस बैंक और PMC बैंक की विफलताओं के बाद मज़बूत किया गया; प्रतिपक्ष का तर्क है कि केवल रद्द करने की धमकी ही निवेशकों को अनुशासित रखती है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत में बैंकों के स्वामित्व का विनियमन अन्य कंपनियों के स्वामित्व की तुलना में अधिक कड़ा है। संस्थागत निवेशकों के लिए RBI की हालिया ढील के संदर्भ में इसके औचित्य का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — जाँचिए कि नियम कड़े क्यों हैं और क्या यह ढील उस औचित्य को बनाए रखती है। 2. भूमिका — बैंक जमाकर्ताओं के धन पर चलते हैं — 1 अक्टूबर को फंडों के लिए 10% तक एकमुश्त अनुमोदन से शुरुआत कीजिए। 3. अनुमोदन के द्वार और मताधिकार की सीमाएँ संबद्ध ऋण और संकेंद्रण को रोकती हैं — धारा 12B, 26% की मताधिकार-सीमा और उपयुक्त एवं उचित कसीटी समझाइए; मूल्य-वर्धन: 2023 के मास्टर निदेश की 10%/15%/26% की सीमाएँ। 4. ढील विनियमित, निष्क्रिय पूँजी को लक्ष्य करती है — प्रवाह-चित्र बनाइए: अनुमोदन → खरीद → 5% पार होने की रिपोर्टिंग → पर्यवेक्षण → रद्दीकरण। 5. निष्कर्ष — पूँजी का द्वार खोलिए, नियंत्रण का द्वार बंद रखिए — समूह-स्तरीय निगरानी के साथ अधिक घरेलू संस्थागत पूँजी का समर्थन कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. RBI के पर्यवेक्षक के रूप में आप पाते हैं कि एक ही परिसंपत्ति प्रबंधक के तीन फंड मिलकर एक मध्यम आकार के बैंक में 11% रखते हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): समग्र आधार पर गिनने से समूह 10% पार कर चुका है, इसलिए मैं एक निश्चित अवधि में व्यवस्थित ढंग से हिस्सेदारी घटाने का निर्देश दूँगा, हड़बड़ी की बिक्री का नहीं। मैं देखूँगा कि फंडों ने मिलकर मतदान किया या बोर्ड में सीटें माँगीं, जो निष्क्रिय निवेश नहीं बल्कि प्रभाव का संकेत है, और रिपोर्टिंग को ऐसा बनाऊँगा कि समूह-स्तर की धारिताएँ अपने आप चिह्नित हों।

2.2 आयात से GST का हिस्सा रिकॉर्ड 32.2% पर पहुँचा, घरेलू हिस्सा घटकर 67.8% रह गया

मुद्दा GST revenue and its structure (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य · बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी: जुलाई 2017 से लागू GST ने अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया; 2025 में GST की दरें घटाई गईं, इसलिए इस वर्ष के संयह की तुलना ऐसे आधार से हो रही है जिसमें ऊँची दरें थीं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 में भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजस्व 14.7% बढ़कर ₹2.03 लाख करोड़ रहा; द इकोनॉमिक टाइम्स ने ₹2.04 लाख करोड़ छापा है, जो पूर्णांकन का अंतर है और इसमें लगभग ₹1.38 लाख करोड़ का घरेलू राजस्व तथा ₹65,525 करोड़ का आयात राजस्व शामिल है। आयात राजस्व 25.9% बढ़ा, जबकि घरेलू लेन-देन का 10.1%, इसलिए द हिंदू के विश्लेषण के अनुसार सकल GST में आयात का रिकॉर्ड 32.2% योगदान रहा और घरेलू हिस्सा अब तक के सबसे निचले स्तर 67.8% पर आ गया। वापसी (रिफंड) के बाद शुद्ध GST 18.1% बढ़कर ₹1,76,520 करोड़ रहा। ग्राट थॉर्नटन के मनोज मिश्रा ने आयात में उछाल का कारण रुपये की गिरावट, कच्चे तेल और ज़िंसों की ऊँची कीमतें और ऊँची लैंड लागत (आयात की पहुँचने पर पूरी लागत) बताया। GST परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को है, यानी पिछली बैठक के लगभग एक वर्ष बाद। पाठ्यक्रम से संबंध: GS3 संसाधन जुटाना और GS2 राजकीय संघवाद।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

रुपया कमज़ोर और कच्चा तेल महँगा → आयात का रुपया-मूल्य बढ़ता है → सीमा-शुल्क पर उसी मूल्य पर लगने वाला IGST भी बढ़ता है → कम दरों पर घरेलू बिक्री धीमे बढ़ती है → GST में आयात का हिस्सा रिकॉर्ड पर

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. आयात पर GST, IGST है, जो अनुच्छेद 269A के तहत बाँटा जाता है — अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को GST पर कानून बनाने देता है, जिसमें अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केवल संसद का अधिकार है। अनुच्छेद 269A के तहत अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर GST, जिसमें आयात शामिल हैं, संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है तथा GST परिषद की सिफारिश पर कानून द्वारा संघ और राज्यों के बीच बाँटा जाता है। राज्यों का हिस्सा अंतिम उपभोग वाले राज्य के अनुसार तय होता है। 2. GST परिषद (अनुच्छेद 279A) संघीय मंच है — 101वें संविधान संशोधन, 2016 से बनी इस परिषद के अध्यक्ष संघ के वित्त मंत्री हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य। निर्णयों के लिए भारित मतों के तीन-चौथाई की ज़रूरत होती है, जिसमें केंद्र के पास एक-तिहाई और राज्यों के पास दो-तिहाई मत हैं। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 [GST (Compensation to States) Act] ने उपकर के माध्यम से राज्यों को पाँच वर्ष तक प्रतिकर का वादा किया था।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. राजस्व की गुणवत्ता और GST संघवाद स्थायी प्रश्न हैं — GS3 के “संसाधनों के जुटाने” और GS2 के “संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ” दोनों में GST आता है; आयात का हिस्सा इसकी कसौटी है कि विद्यार्थी केवल राजस्व का आकार नहीं, उसकी गुणवत्ता भी पढ़ता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 269A के तहत अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर GST, जिसमें आयात शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है तथा संघ और राज्यों के बीच बाँटा जाता है। ● अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानमंडलों को GST कानून बनाने की शक्ति देता है, जिसमें अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर संसद का अनन्य अधिकार है। ● GST परिषद के निर्णयों के लिए भारित मतों का तीन-चौथाई बहुमत चाहिए, जिसमें केंद्र का मत एक-तिहाई गिना जाता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. आयात का रिकॉर्ड हिस्सा माँग से ज़्यादा क्रीमतों को दर्शाता है — IGST आयात के रुपया-मूल्य पर लगता है, इसलिए रुपये की गिरावट और महँगा कच्चा तेल मात्रा न बढ़ने पर भी कर बढ़ा देते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स में उद्धृत विशेषज्ञों ने चेताया कि शीर्षक को मज़बूत उपभोग मान लेना ठीक नहीं। 10.1% पर घरेलू GST वह बेहतर पैमाना है जो बताता है कि भारतीय आपस में कितना खरीदते हैं। 2. दृष्टि — केंद्र और राज्य: आयात-आधारित राजस्व राज्यों के बीच की खाई चौड़ी करता है — GST कर को राष्ट्रीय स्तर पर पूल करता है, पर हर राज्य अपने भीतर के उपभोग पर जीता है, और आयात का IGST राज्यों तक बँटवारे के बाद ही पहुँचता है। द इकोनॉमिक टाइम्स के राज्यवार आँकड़े यह अंतर दिखाते हैं: महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 15% से ऊपर वृद्धि हुई, जबकि तमिलनाडु में 5% की गिरावट। एक विचारशील अधिकारी दरों पर बहस से पहले परिषद से IGST के त्वरित और पारदर्शी निपटान पर ज़ोर देगा। 3. सकल आयात GST लाभ को बढ़ाकर दिखाता है — आयातित आगतों पर चुकाया IGST बाद में आगत कर-क्रेडिट के रूप में लौट आता है, इसलिए असल बात आगतों और तैयार माल का मिश्रण है, जिसके बारे में KPMG के अभिषेक जैन ने कहा कि उसकी और गहरी जाँच ज़रूरी है। आगत भविष्य के घरेलू उत्पादन को खिलाते हैं; तैयार माल उसकी जगह ले लेते हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	कुल संग्रह में आयात-संबंधी GST का बढ़ता हिस्सा मज़बूत घरेलू माँग का संकेत नहीं है। टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — टिप्पणी कीजिए — किसी एक आयाम पर तर्कसंगत, आँकड़ों से पुष्ट मत दीजिए। 2. भूमिका — सितंबर का बँटवारा — आयात GST 25.9% बढ़ा जबकि घरेलू 10.1%, यानी रिकॉर्ड 32.2% हिस्सा। 3. IGST आयात की केवल मात्रा नहीं, उसकी रुपया-क्रीमत के साथ चलता है — मूल्य-वर्धन: वापसी के बाद शुद्ध GST 18.1% बढ़कर ₹1,76,520 करोड़ रहा। 4. आयातित आगत आगे चलकर घरेलू उत्पादन को खिला सकते हैं — सकल GST के घरेलू और आयात हिस्सों का दो-स्तंभ आरेख बनाइए। 5. निष्कर्ष — शीर्षक नहीं, घरेलू और शुद्ध GST पढ़िए — काफ़ी हद तक सहमत हों; वस्तु-श्रेणी के अनुसार आयात के आँकड़े माँगिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. एक राज्य के वित्त सचिव के रूप में, जिसका GST सितंबर में 5% गिरा जबकि राष्ट्रीय कुल 14.7% बढ़ा, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं गिरावट को कमजोर उपभोग, IGST निपटान में देरी और पिछले वर्ष की ऊँची दरों के आधार-प्रभाव में बाँटूँगा, क्योंकि हर एक का उपाय अलग है। निपटान की देरी का मामला GST परिषद में उठना चाहिए, केंद्र से सार्वजनिक झगड़े में नहीं। विधानमंडल के साथ साझा किया गया मासिक राजस्व डैशबोर्ड व्याख्या को ईमानदार रखता है।

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

खाद्य अब विदेश नीति का औज़ार है, और इस वाक्य के दोनों पक्षों में भारत खड़ा है। वह नहीं चाहता कि कोई देश व्यापार के माध्यम से खाद्य आयातकों पर दबाव बनाए, और साथ ही वह अपनी फसल विफल होने पर अनाज का भंडारण करने और निर्यात पर अंकुश लगाने की स्वतंत्रता भी चाहता है। मिलवाँकी में G20 का वक्तव्य भारत को पहली बात देता है; दूसरी का बचाव अभी WTO में करना बाकी है।

3.1 G20 व्यापार मंत्रियों ने “खाद्य के शस्त्रीकरण” पर वक्तव्य का समर्थन किया, भारत ने सार्वजनिक भंडारण का बचाव किया

मुद्दा Food security, stockholding and the WTO (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित • रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

अब तक की कहानी भारत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदता है; WTO के सब्सिडी नियम इस समर्थन को गिनते हैं, और 2013 से भारत विवादों के विरुद्ध एक अंतरिम “शांति खंड” (Peace Clause) के सहारे चल रहा है।

समाचार (THE NEWS) मिलवाँकी, विस्कोन्सिन। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी अध्यक्षता में बैठक कर रहे G20 व्यापार मंत्रियों ने “दबावकारी व्यापार कार्रवाइयों के जरिये खाद्य के शस्त्रीकरण पर G20 वक्तव्य” पर सर्वसम्मति बनाई। यहाँ शस्त्रीकरण का अर्थ है किसी अन्य देश पर दबाव डालने के लिए खाद्य निर्यात या बाज़ार पहुँच पर नियंत्रण का उपयोग करना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खाद्य को “सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग का स्रोत” बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सार्वजनिक भंडारण रखता है, छोटे और सीमांत किसानों से खरीद करता है, और फसल में कमी होने पर खाद्य की उपलब्धता और वहनीयता बनाए रखने के लिए “अस्थायी और पारदर्शी उपाय” अपनाता है; उन्होंने ऐसे उपायों और दबावकारी व्यापार कार्रवाइयों के बीच स्पष्ट अंतर करने का आग्रह किया। 1 अक्टूबर की एक PIB विज्ञप्ति के अनुसार भारत 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क अनाज देता है। पाठ्यक्रम से संबंध GS3 में बफ़र स्टॉक और खाद्य सुरक्षा का है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

युद्ध और प्रतिबंध अनाज के व्यापार को बाधित करते हैं → आयातकों को डर कि खाद्य दबाव का साधन बनेगा → G20 दबावकारी खाद्य व्यापार के विरुद्ध वक्तव्य पर सहमत → भारत अपने भंडारण और निर्यात अंकुशों को दबाव से अलग बताता है → WTO में भंडारण का प्रश्न फिर उभरता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. कृषि समझौता व्यापार-विकृतिकारी समर्थन पर सीमा लगाता है — WTO का कृषि समझौता (Agreement on Agriculture) व्यापार-विकृतिकारी मूल्य समर्थन को एम्बर बॉक्स में रखता है; विकासशील देश इस उत्पादन के मूल्य के न्यूनतम सीमा (de minimis) 10% तक दे सकते हैं; जबकि विकसित देश 5% तक। समर्थन की गणना 1986-88 के स्तरों पर तय एक बाहरी संदर्भ मूल्य के विरुद्ध की जाती है, जिसे मुद्रास्फीति के अनुसार कभी समायोजित नहीं किया गया, इसलिए भारत की खरीद वास्तव में जितनी है उससे कहीं बड़ी सब्सिडी दिखती है। 2. बाली का शांति खंड स्थायी समाधान होने तक भंडारण को संरक्षण देता है — 2013 में बाली में WTO के सदस्यों ने सहमति दी कि वे विकासशील देशों द्वारा पारंपरिक मुख्य खाद्यान्नों के सार्वजनिक भंडारण को, जो सीमाओं का उल्लंघन करता हो, चुनौती नहीं देंगे, बशर्ते पारदर्शिता की शर्तें पूरी हों; नवंबर 2014 के महापरिषद (General Council) के निर्णय ने इसे स्थायी समाधान तय होने तक जारी रखा। भारत ने इसका पहली बार प्रयोग 2020 में चावल के लिए किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act, 2013) ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक को कवर करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. बफ़र स्टॉक और WTO GS3 का स्थायी विषय है — पाठ्यक्रम की पंक्ति “सार्वजनिक वितरण प्रणाली – उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएँ, पुनर्गठन; बफ़र स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे” भारत द्वारा भंडारण के बचाव को एक नियमित प्रश्न बना देती है; खाद्य का शस्त्रीकरण इसमें GS2 का आयाम जोड़ता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- WTO के कृषि समझौते के अंतर्गत विकासशील देशों के लिए व्यापार-विकृतिकारी समर्थन की न्यूनतम सीमा (de minimis) उत्पादन के मूल्य का 10% है। - कृषि समझौते के अंतर्गत बाज़ार मूल्य समर्थन की गणना के लिए बाहरी संदर्भ मूल्य 1986-88 की कीमतों पर आधारित है। - सार्वजनिक भंडारण पर अंतरिम “शांति खंड” WTO के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2013) में तय हुआ और 2014 में महापरिषद ने उसे स्थायी समाधान होने तक बढ़ा दिया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. भारत ने शब्दावली जीती है, नियम नहीं — G20 का वक्तव्य WTO में किसी को बाध्य नहीं करता, और भंडारण का स्थायी समाधान अब भी अनुपस्थित है। भारत को यह लाभ मिलता है कि दबाव और खाद्य सुरक्षा के उपायों के बीच अंतर अभिलेख में दर्ज हो गया, जिसे वह अपने

	निर्यात अंकुशों पर आक्षेप होने पर उद्धृत कर सकता है। पर यह शब्द धारि है: भारतीय निर्यात प्रतिबंध से प्रभावित कोई आयातक उसे दबावकारी कह सकता है, इसीलिए श्री गोयल ने “अस्थायी और पारदर्शी” पर जोर दिया। 2. दृष्टि — राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझी संपदा : एक राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा दूसरे की असुरक्षा बन सकती है — हर देश यदि पहले अपना पेट भरे, तो वह उस बाज़ार को खाली कर सकता है जिस पर निधेन आयातक निर्भर है। भारत का उत्तर प्रक्रियागत है: उपाय अस्थायी, पारदर्शी और वास्तविक कमी से जुड़े होने चाहिए, कभी दबाव बनाने के लिए नहीं। विचारशील अधिकारी यह मानेगा कि भारत की साख उसके आचरण पर टिकी है: अंकुशों की तुरंत अधिसूचना देना और मानवीय तथा सरकार-से-सरकार की बिक्री को छूट देना, अन्यथा शस्त्रीकरण के विरुद्ध उसका पक्ष ढह जाएगा। 3. व्यापारिक गुटों की दुनिया भारत के लिए WTO का महत्व बढ़ाती है — द हिंदू के अनुसार वित्त मंत्रालय की सितंबर की मासिक आर्थिक समीक्षा विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2026 का हवाला देती है: यदि FTA के जाल बहुपक्षीय व्यवस्था की जगह ले ले, तो 2050 तक वैश्विक GDP 6.9% और निर्यात 26.9% गिर सकते हैं, जो तीन परिदृश्यों में सबसे बुरा है। कोई भी द्विपक्षीय समझौता भारत को शांति खंड नहीं देता, इसलिए FTA की खोज करते हुए WTO के मूल की रक्षा करना संगत है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत अपने सार्वजनिक भंडारण और निर्यात प्रतिबंधों को वैश्विक व्यापार में खाद्य के शस्त्रीकरण के विरुद्ध अपने अभियान के साथ किस सीमा तक संगत बना सकता है? चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — किस सीमा तक — तौलिए कि दोनों पक्ष कहाँ मेल खाते और कहाँ टकराते हैं, फिर संतुलित निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — मिलवाँकी की सर्वसम्मति — G20 वक्तव्य और भारत द्वारा भंडारण के बचाव से आरंभ कीजिए। 3. भंडारण कल्याणकारी दायित्व है, जिसे WTO का पुराना गणित दंडित करता है — मूल्यवर्धन : 10% की न्यूनतम सीमा, 1986-88 का संदर्भ मूल्य, चावल के लिए 2020 में भारत द्वारा खंड का प्रयोग। 4. निर्यात अंकुश आयातकों को दबाव जैसे लग सकते हैं — प्रवाह-चित्र बनाइए : कमी → अंकुश → अधिसूचना → छूट → वापसी। 5. FTA के जाल की तुलना में WTO का मूल भारत की बेहतर रक्षा करता है — मासिक आर्थिक समीक्षा के 6.9% GDP हानि वाले परिदृश्य का उपयोग कीजिए। 6. निष्कर्ष — भारत नियमबद्ध रहे तो दोनों में संगति संभव है — भंडारण के स्थायी समाधान और अधिसूचित, समयबद्ध अंकुशों की माँग कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के रूप में, खराब फसल के कारण आप चावल निर्यात पर अंकुश लगाने पर विचार कर रहे हैं। आप उसे कैसे अभिकल्पित करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले बफ़र स्टॉक को मानकों से मिलाकर देखूँगा, क्योंकि अंकुश का औचित्य केवल वास्तविक कमी ही बनाती है, और पूर्ण प्रतिबंध के बजाय शुल्क या कोटा को प्राथमिकता दूँगा, जिसकी समीक्षा की तिथि निश्चित हो। खाद्य-अभाव वाले पड़ोसी देशों को सरकार-से-सरकार की आपूर्ति को छूट दूँगा और WTO को तुरंत अधिसूचित करूँगा, ताकि उपभोक्ता सुरक्षित रहें और भारत का तर्क विश्वसनीय बना रहे।

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

आज एक ही कार्ड है, उस पड़ोसी पर जिसकी सबसे बुरे वर्ष में भारत ने सबसे ज्यादा मदद की। श्रीलंका के नए शासकों ने कठिन आर्थिक काम कर दिखाया और कठिन संवैधानिक काम टाल दिया। भारत के लिए नतीजा मिला-जुला है: एक सॉल्वेंट, स्थिर कोलंबो, पर प्रांतीय परिषदें अब भी अधर में।

4.1 दिसानायके के दो वर्ष बाद श्रीलंका में स्थिरता लौटी, पर नया संविधान और PTA का निरसन अटका हुआ

मुद्दा Sri Lanka after Disanayake's first two years (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी • स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी 2022 के आर्थिक संकट और अरागलया (Aragalaya) आंदोलन ने गोटाबाया राजपक्षे को सत्ता से हटाया, और उनके उत्तराधिकारी ने IMF कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। 2024 में मतदाताओं ने “व्यवस्था-परिवर्तन” के वादे पर अनुरा कुमारा दिसानायके की नेशनल पीपुल्स पावर (NPP) को चुना।

समाचार (THE NEWS) कोलंबो। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पिछले सप्ताह पद पर दो वर्ष पूरे किए, और द हिंदू का आकलन मिला-जुला रिकॉर्ड बताता है। वे सितंबर 2024 में 42.31% मतों से जीते, और वरीयता मतों की गणना में बहुमत की रेखा पार की; इसके बाद उनकी नेशनल पीपुल्स पावर (NPP) ने प्रचंड बहुमत (supermajority) जीता। उसने विरासत में मिला IMF कार्यक्रम जारी रखा और उसके लक्ष्य पूरे किए या उनसे आगे निकली। इससे 2025 के अंत के चक्रवात दित्वाह, जिसमें लगभग 700 लोग मारे गए, और पश्चिम एशियाई संकट से ईंधन-क्रीमों के झटके को सहने की गुंजाइश बनी। 2019 के ईस्टर बम धमाकों की जाँच में एक पूर्व खुफिया प्रमुख गिरफ्तार किया गया है। संरचनात्मक वादे आगे नहीं बढ़े हैं। प्रांतीय परिषद चुनाव संसदीय समिति में अटके हैं, और नया संविधान नहीं बना। कार्यकारी राष्ट्रपति पद खत्म नहीं किया गया। मानवाधिकार रक्षकों का कहना है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम (Prevention of Terrorism Act) की जगह लेने वाला मसौदा कानून अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतरता।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2022 में चूक और क्लिलत → अरागलया की “व्यवस्था-परिवर्तन” की माँग → 2024 में NPP को राष्ट्रपति पद और प्रचंड बहुमत → IMF अनुशासन पर डटी रहकर अर्थव्यवस्था स्थिर की → संविधान, परिषद चुनाव और PTA सुधार टाले

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	13वाँ संशोधन श्रीलंका के संविधान में भारत की स्थायी हिस्सेदारी है — जुलाई 1987 में राजीव गांधी और जे.आर. जयवर्धने द्वारा हस्ताक्षरित भारत-श्रीलंका समझौते (India-Sri Lanka Accord) से 13वाँ संशोधन निकला। इस संशोधन ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण के साथ निर्वाचित प्रांतीय परिषदें बनाईं। तब से भारत इसे पूरी तरह लागू करने पर ज़ोर देता रहा है, जिसमें परिषद चुनाव कराना भी शामिल है। - IMF की विस्तारित निधि सुविधा गहरे भुगतान-संतुलन संकटों के लिए धन देती है — विस्तारित निधि सुविधा (Extended Fund Facility, EFF) संरचनात्मक सुधारों के बदले लंबी अवधि के लिए ऋण देती है। IMF ने 20 मार्च 2023 को श्रीलंका के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर की 48 माह की EFF को मंजूरी दी। 2022 में भारत ने ईंधन, खाद्य और दवाओं के लिए आपात ऋण-सुविधाएँ और एक मुद्रा अदला-बदली (currency swap) पहले ही दे दी थीं।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	GS2 में “भारत एवं इसके पड़ोसी — संबंध” पर प्रश्न पूछे जाते हैं — श्रीलंका तीन बार-बार आने वाले विषयों को जोड़ता है: तमिल विकेंद्रीकरण, ऋण संकट और हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● श्रीलंका के संविधान का 13वाँ संशोधन (1987) प्रांतीय परिषदें बनाता है। यह जुलाई 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते से निकला था। ● श्रीलंका का आतंकवाद निवारण अधिनियम 1979 का है। ● IMF की विस्तारित निधि सुविधा लंबे चलने वाले भुगतान-संतुलन संकटों के लिए मध्यम अवधि की सहायता देती है। ● श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह 2017 में एक चीनी सरकारी कंपनी को 99 वर्ष के पट्टे पर दिया गया था।
विश्लेषण (ANALYSIS)	- दृष्टि — रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी: भारत का प्रभाव अब 1987 के समझौते से नहीं, धन से होकर गुजरता है — JVP, जो NPP की धुरी वाली पार्टी है, कभी 1987 के समझौते के विरुद्ध लड़ी थी, इसलिए परिषद चुनावों का अटकना कोई आश्चर्य नहीं। भारत के पास इसके बजाय 2022 की सद्भावना है और ऋणदाता तथा निवेशक के रूप में उसका वजन, जबकि हंबनटोटा चीन के पास है। समझौता इसमें है कि परिषद चुनावों का समर्थन नई दिल्ली की माँग के रूप में नहीं, बल्कि तमिल मतदाताओं से NPP के अपने वादे के रूप में किया जाए। इससे चिंता जीवित रहती है और संप्रभुता का विवाद नहीं छिड़ता। - स्थिरता खरीदी गई है, और रूपांतरण टाल दिया गया है — राजनीति विज्ञानी प्रदीप पीरिस

	NPP को “उसी व्यवस्था में बेहतर शासक” कहते हैं। IMF पर टिके रहने से विश्वसनीयता मिली और झटकों के विरुद्ध एक सुरक्षा-कवच। पर गरीब परिवार कम खा रहे हैं, और राजकोषीय लक्ष्य पूरे करने में लगी सरकार के पास संविधान-निर्माण के लिए राजनीतिक पूंजी कम बची है। प्रतिपक्ष का तर्क है कि दिवालिया देश पहले संविधान नहीं लिख सकता था; यह तभी टिकता है जब अगले चुनाव तक घड़ी की सुइयाँ यूँ ही न खिसकने दी जाएँ। 3. PTA की जगह लेने वाले कानून को अब भी आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना है — NPP ने निरसन का वादा किया था, पर उसका मसौदा अधिनियम को निरस्त करने के बजाय उसकी जगह लेता है। 2019 के ईस्टर बम धमाके दिखाते हैं कि सुरक्षा का तर्क वास्तविक है। कसौटी यह है कि निरोध समयबद्ध है, अदालतों द्वारा समीक्षित है और केवल वास्तविक आतंकवाद तक सीमित है, या वह फिर अल्पसंख्यकों और आलोचकों तक पहुँच सकता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“श्रीलंका की सरकार व्यवस्था-परिवर्तन के वाहक नहीं, बल्कि उसी व्यवस्था में बेहतर शासक बन गई है।” इस मत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और भारत के लिए इसके निहितार्थ बताइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — उपलब्धियों को अटके सुधारों के सामने तौलिए और निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — NPP 2024 में अरागलया की व्यवस्था-परिवर्तन की माँग पर चुनी गई — संकट और प्रचंड बहुमत पर दो पंक्तियाँ। 3. आर्थिक रिकॉर्ड सरकार के पक्ष में है — IMF लक्ष्य पूरे हुए, चक्रवात दित्वाह को सहा गया। मूल्य-वर्धन: मार्च 2023 की लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर की EFP। 4. संरचनात्मक रिकॉर्ड आलोचकों के पक्ष में है — न संविधान, न परिषद चुनाव, और PTA निरस्त नहीं, बदला गया। 5. भारत के लिए सुधार की गति से ज़्यादा स्थिरता मायने रखती है, पर 13वें संशोधन को छोड़ा नहीं जा सकता — भारत के लाभों का दो-स्तंभ चार्ट बनाइए: लाभ बनाम चिंताएँ। 6. निष्कर्ष — स्थिरता मंच है, मंज़िल नहीं — भारत को परिषद चुनावों का समर्थन श्रीलंका के अपने वादे के रूप में करना चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप MEA के श्रीलंका डेस्क के प्रमुख हैं। तमिलनाडु के दल चाहते हैं कि भारत प्रांतीय परिषद चुनावों पर कोलंबो पर सार्वजनिक दबाव डाले। आप क्या सलाह देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं दृढ़ निजी कूटनीति की सलाह दूँगा, क्योंकि सार्वजनिक दबाव से कोलंबो के राष्ट्रवादियों को चुनावों को भारतीय हस्तक्षेप बताने का मौका मिल जाता है। भारत को संयुक्त वक्तव्यों में अपनी स्थिति दोहरानी चाहिए और तमिल मतदाताओं से NPP के अपने वादे का हवाला देना चाहिए। मैं उत्तर और पूर्व में विकास-सहायता को कार्यशील स्थानीय संस्थाओं से भी जोड़ूँगा। मैं तमिलनाडु सरकार को नियमित रूप से जानकारी भी दूँगा।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

दोनों खबरें इस प्रश्न की हैं कि किसी प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण किसका होगा और किन शर्तों पर। एक में राज्य कीमत की गारंटी देकर गोबर और फसल अवशेष को बाज़ार में बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी में वन-नौकरशाही ने संसद द्वारा ग्राम सभाओं को दी गई शक्ति वापस लेने का प्रयास किया और उसे पीछे हटना पड़ा। अच्छी पर्यावरण नीति के लिए संस्थाओं को ठीक करना उतना ही ज़रूरी है जितना प्रौद्योगिकी को।

5.1 केंद्र ने संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन दस गुना बढ़ाने और सुनिश्चित खरीद की गारंटी देने के लिए ₹23,731 करोड़ की गोबरधन योजना शुरू की

सूदा Biogas and waste-to-energy (नया सूदा) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य - विकास और पर्यावरण

अब तक की कहानी 2018 से गोबरधन (GOBARdhan) और सतत (SATAT) योजनाएँ गोबर, फसल अवशेष और शहरी कचरे से संपीड़ित बायोगैस को बढ़ावा देती आ रही हैं। संयंत्रों को पक्के खरीदार और स्थिर मूल्य नहीं मिल पाए, इसलिए उत्पादन छोटा ही रहा।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। PIB की विज्ञप्ति के अनुसार पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1 अक्टूबर को गोबरधन संपीड़ित बायोगैस (CBG) योजना का शुभारंभ किया। CBG सड़ते जैविक कचरे से बनी गैस है, जिसे शुद्ध कर और संपीड़ित कर प्राकृतिक गैस के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त को 2026-27 से 2035-36 तक दस वर्षों के लिए ₹23,731 करोड़ की मंजूरी दी थी। लक्ष्य है CBG उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाकर करीब 50 लाख मानक घन मीटर प्रतिदिन तक ले जाना। CNG और पाइपड गैस बेचने वालों को 2026-27 में अपनी बिक्री का 3% CBG खरीदना होगा, जो 2028-29 से बढ़कर 5% हो जाएगा। उत्पादकों को ₹2,110 प्रति mmbtu का तय मूल्य मिलेगा और नए संयंत्रों को प्रति टन-प्रतिदिन क्षमता पर ₹2 करोड़ तक की सहायता मिलेगी। योजना समूहों (क्लस्टर) के लिए पाइपलाइन जोड़ने की लागत का 80% और अकेले संयंत्रों के लिए 50% वहन करती है, तथा छोटी इकाइयों को 85% ऋण गारंटी देती है। इस समय लगभग 217 संयंत्र चल रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने नोट किया है कि पहले के प्रयासों को “सीमित सफलता” ही मिली थी।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कचरा सड़ता या जलाया जाता है, मीथेन निकलती है → सतत (2018) खरीदार तो देती है पर पक्का मूल्य नहीं → संयंत्र ठप → मिश्रण का दायित्व, तय मूल्य और पूँजी सहायता → दस गुना उत्पादन का लक्ष्य

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. गोबरधन और सतत भारत की बायोगैस नीति के जनक हैं — गोबरधन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) 2018 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शुरू हुआ, ताकि पशुओं के गोबर और खेती के कचरे से बायोगैस और खाद बनाई जा सके। संयंत्रों का पंजीकरण एक एकीकृत पोर्टल पर होता है। सतत (SATAT - Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) पेट्रोलियम मंत्रालय की 2018 की पहल है, जिसमें उद्यमियों को CBG संयंत्र लगाने के लिए आमंत्रित किया गया और तेल विपणन कंपनियों ने उनका उत्पादन खरीदने का वचन दिया। 2. मिश्रण का दायित्व स्वैच्छिक बाज़ार को अनिवार्य बाज़ार में बदल देता है — नवंबर 2023 में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने परिवहन के लिए CNG में और घरों के लिए पाइपड गैस में CBG के चरणबद्ध मिश्रण की घोषणा की। यह मिश्रण 2024-25 तक स्वैच्छिक था और उसके बाद अनिवार्य हो गया; 3-5% का नया खरीद दायित्व इसी सीढ़ी पर खड़ा है। पाचन के बाद बची गाद, जिसे किण्वित जैविक खाद (Fermented Organic Manure) कहते हैं, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 (Fertiliser Control Order, 1985) के अंतर्गत एक उर्वरक है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS3 में “अवसररचना : ऊर्जा” और “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण” शामिल हैं — बायोगैस कचरे, ग्रामीण आय और मीथेन को जोड़ती है, इसलिए यह चक्रीय अर्थव्यवस्था का सहज उदाहरण बन जाती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● संपीड़ित बायोगैस मुख्यतः मीथेन होती है, जो जैविक कचरे के अवायवीय पाचन (Anaerobic Digestion) से बनती है। ● मीथेन अल्पजीवी ग्रीनहाउस गैस है, जो वायुमंडल में लगभग एक दशक रहती है, पर उस अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक ऊष्मा रोकती है। ● सतत (SATAT) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल है। ● पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड PNGRB अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — बाज़ार और राज्य : राज्य बाज़ार की विफलता सुधार रहा है, पर तय कीमत अपने औचित्य से ज्यादा टिक सकती है — बायोगैस संयंत्र इसलिए विफल हुए कि कोई खरीदार ज्ञात मूल्य पर गैस लेने का वादा नहीं करता था, और इसलिए बैंक ऋण नहीं देते थे। खरीद का दायित्व और प्रशासित मूल्य, दोनों जोखिम एक साथ हटा देते हैं। यदि मूल्य आयातित गैस की

	कीमतों से ऊँचा बना रहा, तो अंतर गैस के उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ेगा। विवेकशील अधिकारी शुरुआती दशक के लिए गारंटी स्वीकार करेगा, पर मूल्य की समीक्षा का प्रावधान भी रखेगा, ताकि संयंत्रों के परिपक्व होने पर सहायता घटती जाए। 2. असली अड़चन संयंत्र के वित्त की नहीं, कचरा एकत्र करने की है — संयंत्र को प्रतिदिन गोबर, अवशेष या नगरीय कचरे की स्थिर आपूर्ति चाहिए, जो छोटे खेतों में बिखरी होती है और मौसमी भी। पूँजी संयंत्र खड़ा कर सकती है, पर उसे चालू रखने का काम केवल गाँव की संग्रह व्यवस्था और नगरपालिका स्तर पर स्रोत पर कचरे का पृथक्करण ही कर सकता है। पाइपलाइन तक पहुँच भी मायने रखती है: PNGRB के 20वें स्थापना दिवस पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने पाइपलाइनों को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने का श्रेय कॉमन-कैरियर और खुली पहुँच के नियमों को दिया। 3. जलवायु लाभ वास्तविक है, पर वह खाद की बिक्री पर निर्भर है — सड़ते कचरे से मीथेन को पकड़ने से एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस घटती है; विज्ञप्ति में 4 करोड़ टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बचाने का दावा है। फिर भी संयंत्रों को जैविक खाद से आय चाहिए, और सॉल्विडी वाले यूरिया के आदी किसान उसे शायद ही खरीदते हैं। जब तक उर्वरक सॉल्विडी जैविक खाद के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करती, संयंत्र के दो उत्पादों में से एक घाटे में रहेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि सुनिश्चित खरीद और प्रशासित मूल्य संपीड़ित बायोगैस को भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अपेक्षित प्रबंधन का स्तंभ बनाने में कहाँ तक सहायक हो सकते हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — उपायों को लक्ष्य की कसौटी पर परखिए और निष्कर्ष पर पहुँचिए। 2. भूमिका — पहले की योजनाएँ प्रौद्योगिकी की नहीं, खरीदारों की कमी से विफल रहीं — ₹23,731 करोड़ की दस वर्षीय योजना और उसके दस गुना लक्ष्य से शुरुआत कीजिए। 3. गारंटी उस जोखिम को हटाती है जिसने बैंकों को दूर रखा — 3-5% का दायित्व, ₹2,110 का मूल्य और 85% ऋण गारंटी। मूल्यवर्धन : 2023 का मिश्रण दायित्व। 4. फ्रीडस्टॉक की आपूर्ति-व्यवस्था और खाद के बाज़ार अब भी अनसुलझे हैं — प्रवाह-चित्र बनाइए : कचरा → संग्रह → डाइजेस्टर → गैस ग्रिड, और गाद खेतों तक। 5. निष्कर्ष — आवश्यक, पर पर्याप्त नहीं — गाँव स्तर का संग्रह और उचित उर्वरक नीति जोड़िए; मूल्य की समय-समय पर समीक्षा कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. ज़िला कलेक्टर के रूप में आपको दो वर्ष के भीतर तीन CBG संयंत्र चालू कराने हैं। आप कहाँ से शुरू करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं फ्रीडस्टॉक से शुरू करूँगा। ब्लॉक-वार गोबर, अवशेष और नगरीय कचरे का नक्शा बनाऊँगा और दुग्ध सहकारी समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों को प्रति टन एकत्र कचरे पर भुगतान दूँगा। भूमि और पाइपलाइन की अनुमतियाँ ज़िले की एकल खिड़की से दिलाऊँगा। जो संयंत्र वहाँ बनेंगे जहाँ कचरा प्रचुर है और खरीदार पास हैं, वे सॉल्विडी समाप्त होने के बाद भी टिके रहेंगे।

5.2 केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के यह कहने पर कि मध्य प्रदेश वन विभाग का CFR निर्देश वन अधिकार अधिनियम के विरुद्ध है, राज्य ने उसे स्थगित रखा

मुद्दा Forest rights and gram sabhas (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था • केंद्र और राज्य

अब तक की कहानी वन अधिकार अधिनियम, 2006 ने ग्राम सभा को वन-अधिकार के दावे शुरू करने और उनका सत्यापन करने का प्राधिकारी बनाया। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जो इसका सबसे सशक्त प्रावधान है, धीमी गति से और प्रायः वन विभाग के प्रतिरोध के बावजूद मान्य किए गए हैं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश वन विभाग ने 6 अगस्त के एक निर्देश को निलंबित कर दिया है। इस निर्देश में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के निदेशकों सहित क्षेत्रीय अधिकारियों से कहा गया था कि वे 15 अगस्त की बैठकों में सामुदायिक वन संसाधन (CFR) के दावे स्वीकार करें। CFR अधिकार किसी गाँव का वह अधिकार है जिसके तहत वह उस वन की रक्षा और प्रबंधन करता है जिसका वह परंपरागत रूप से उपयोग करता आया है। वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अंतर्गत ऐसे दावे वन विभाग नहीं, ग्राम सभा प्राप्त करती है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखा कि यह निर्देश अधिनियम के “अनुरूप नहीं” है और दावों के लिए खुले वनों का दायरा, जिसमें अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी आते हैं, संकुचित करता प्रतीत होता है। FRA और PESA पर मुख्यमंत्री की टास्क फ़ोर्स के दो सदस्यों ने भी इसे वापस लेने की माँग की। 30 सितंबर को वन बल प्रमुख ने इसे स्थगित रखने का आदेश दिया।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

FRA ने CFR दावे ग्राम सभाओं में निहित किए (2006) → अधिकारी आरक्षित और संरक्षित वनों में अधिकारों पर संदेह करते हैं → मध्य प्रदेश दावों को वन अधिकारियों के माध्यम से भेजता है (6 अगस्त) → जनजातीय कार्य मंत्रालय और टास्क फ़ोर्स के सदस्य आपत्ति करते हैं → निर्देश स्थगित

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. FRA में प्रारंभिक प्राधिकारी वन अधिकारी नहीं, ग्राम सभा है — FRA की धारा 3(1)(i) समुदायों को उन सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार देती है जिनकी वे परंपरागत रूप से रक्षा करते आए हैं। धारा 6 के अंतर्गत ग्राम सभा दावे प्राप्त कर उनका सत्यापन करती है, फिर वे उपखंड स्तरीय और ज़िला स्तरीय समितियों को जाते हैं। धारा 5 ग्राम सभाओं को वनों और वन्यजीवों की रक्षा का अधिकार देती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। 2. PESA पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक स्वशासन का विस्तार करता है — पंचायतों के उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996) संविधान के भाग IX को कुछ उपांतरणों के साथ पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। यह ग्राम सभाओं को लघु वनोपज और सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार देता है। मध्य प्रदेश पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों वाले दस राज्यों में से एक है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS2 में “सुभेद्य वर्गों” के लिए “तंत्र, विधि, संस्थाएँ और निकाय” है; GS3 में “संरक्षण” है — FRA ठीक वहाँ स्थित है जहाँ दोनों मिलते हैं : जनजातीय अधिकार और वन शासन।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया ग्राम सभा आरंभ करती है। ● FRA के अंतर्गत “सामुदायिक वन संसाधन” में आरक्षित वन और अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र भी आ सकते हैं, जहाँ किसी समुदाय की परंपरागत पहुँच रही हो। ● जनजातीय कार्य मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम, 2006 का नोडल मंत्रालय है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — स्वतंत्रता और व्यवस्था : विभागीय पत्र संसद के अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकता — अधिकारी बता सकते हैं कि कानून कैसे लागू होगा, पर किसी सांविधिक शक्ति को किसी और को नहीं सौंप सकते। इस निर्देश ने एक हितबद्ध पक्ष, यानी वन विभाग, को ग्राम सभा की जगह बैठा दिया और चुपचाप यह भी सीमित कर दिया कि दावे कहाँ किए जा सकते हैं। जाँच-परख की व्यवस्था काम आई, पर “स्थगन” वापसी नहीं है। विधि के शासन का सम्मान करने वाला अधिकारी इस पत्र की जगह ऐसे निर्देश जारी करेगा जो अधिनियम का शब्दशः पालन करें। 2. दावों का सत्यापन करने वाले अधिकारियों की भ्रांतियों में ही वन अधिकार प्रायः दम तोड़ते हैं — टास्क फ़ोर्स के सदस्यों का कहना है कि ज़िला अधिकारी अब भी मानते हैं कि आरक्षित या संरक्षित वनों में CFR अधिकार ही नहीं सकते, और ग्राम सभाओं को निरंतर प्रबंधन सिद्ध करना होगा। अधिनियम इनमें से कुछ भी अपेक्षित नहीं करता। इसे ठीक करने के लिए प्रशिक्षण और आदर्श आदेश चाहिए, केवल दिल्ली से पत्र भेजना काफी नहीं। 3. यहाँ केंद्र-राज्य का घर्षण निगरानी का अपेक्षित ढंग से काम करना है — वन समवर्ती सूची में हैं, पर FRA को राज्य लागू करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय मानक तय करता है और विचलन को सुधारता है। प्रतिपक्ष यह है कि अभयारण्यों में वन विभागों के वास्तविक दायित्व हैं, पर अधिनियम सत्यापन में उन्हें पहले से भूमिका देता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की प्राप्ति अब भी कमज़ोर है। इस परिणाम में ग्राम सभाओं और वन विभागों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — टिप्पणी कीजिए — तर्कसंगत मत दीजिए कि CFR अधिकारों को किसने रोका है। 2. भूमिका — FRA ने CFR दावे ग्राम सभा में निहित किए हैं — धारा 3(1)(i) और अब स्थगित मध्य प्रदेश के निर्देश का उल्लेख कीजिए। 3. वन विभागों ने अधिकार-क़ानून को वानिकी का मामला मान लिया — मूल्यवर्धन : आरक्षित वनों और निरंतर प्रबंधन को लेकर भ्रांतियाँ। 4. दावों को टिकाऊ बनाने के लिए ग्राम सभाओं को नक्शे और अभिलेख चाहिए — प्रवाह-चित्र बनाइए : ग्राम सभा → SDLC → DLC → पट्टा।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

5. निष्कर्ष — अधिनियम को जैसा लिखा है वैसा लागू कीजिए — आदर्श आदेश, प्रशिक्षण और निगरानी का उपयोग कीजिए।

प्रश्न 1. वन मंडल अधिकारी (DFO) के रूप में आपको एक अभयारण्य के निकट के गाँवों से CFR दावे मिलते हैं, और आपके वरिष्ठ उसके वन्यजीवों को लेकर चिंतित हैं। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): दावे का निर्णय ग्राम सभा करती है; मेरी भूमिका उसके सत्यापन में सहायता करना है, उसे रोकना नहीं। मैं वन के नक्शे और अभिलेख साझा करूँगा और सत्यापन में उपस्थित रहूँगा। जहाँ वन्यजीवों की चिंता वास्तविक होगी, वहाँ ग्राम सभा के साथ मिलकर संयुक्त संरक्षण योजना बनाऊँगा, क्योंकि अधिनियम अधिकार-धारकों पर वन की रक्षा का दायित्व भी डालता है। संकटग्रस्त वन्यजीव आवास में अधिकारों के किसी भी परिवर्तन के लिए अधिनियम की अपनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

6. स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान (Health & Life Sciences)

भारत दवा के फैक्टरी से निकलने की कीमत पर तो नियंत्रण रखता है, पर अस्पताल के बिस्तर पर मरीज़ क्या चुकाता है, इस पर नहीं कर्नाटक के निरीक्षण बताते हैं कि मुनाफ़ा इन्हीं दोनों के बीच की खाई में बैठा है, और जिन मरीज़ों के पास कोई विकल्प नहीं होता, उनके लिए अधिकतम खुदरा मूल्य ही असली कीमत बन गया है।

6.1 कर्नाटक ने पाया कि अस्पताल 52 गुना तक सस्ती ख़रीदी दवाओं पर लगभग MRP वसूल रहे हैं

सूदा Hospital drug mark-ups and price control (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य • विकास और समता

अब तक की कहानी 23 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने कैसर की एक दवा पर दस गुना मुनाफ़ाखोरी को “दिन-दहाड़े डकैती” कहा था और चुप बैठे नियामकों को फटकारा था।

समाचार (THE NEWS) बेंगलुरु। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार कर्नाटक ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह कैसर की दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अस्पताल के उपभोग्य सामानों पर ली जा रही भारी मुनाफ़ाखोरी पर अंकुश लगाए। राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कैसर केंद्रों सहित कई अस्पतालों का निरीक्षण किया, तो पाया कि मरीज़ों से अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP, यानी विक्रेता द्वारा वसूली जा सकने वाली छुपी हुई अधिकतम कीमत) या उसके आसपास का बिल लिया जा रहा था, जबकि अस्पताल ये सामान भारी छूट वाली संस्थागत दरों पर खरीदते थे। कई मामलों में मुनाफ़ा खरीद लागत का 10 गुना से लेकर 52 गुना से भी अधिक था, और 253 दवाओं एवं उपभोग्य सामानों में विसंगतियाँ मिलीं। गुफ़िपोल ₹86 में खरीदी गई थी जबकि उसका MRP ₹4,528 था; गुफ़िसाइक्लिन-50 का इंजेक्शन ₹160 में खरीदा गया था, जबकि उसका MRP ₹7,110 था। निष्कर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) को भेज दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद नई बात यह है कि अब राज्य द्वारा जुटाए गए प्रमाण सामने हैं, जो दिखाते हैं कि समस्या केवल फैक्टरी में नहीं, अस्पताल में भी है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कंपनियाँ ऊँचा MRP छापती हैं पर अस्पतालों को सस्ते में बेचती हैं → अस्पताल MRP पर बिल बनाते हैं → भर्ती मरीज़ दूसरी जगह दाम नहीं पूछ सकते → कर्नाटक के निरीक्षक 253 मामले दर्ज करते हैं → राज्य केंद्र और NPPA से कार्रवाई की माँग करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. दवाओं की कीमतें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी आदेश से नियंत्रित होती हैं — औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 [Drugs (Prices Control) Order, 2013] आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी किया गया है। यह “अनुसूचित” दवाओं, यानी राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची की दवाओं, के लिए कम-से-कम 1% बाज़ार हिस्सेदारी वाले ब्रांडों के साधारण औसत के बराबर अधिकतम मूल्य तय करता है; अन्य दवाओं के लिए MRP में वार्षिक वृद्धि 10% तक सीमित करता है। 2. NPPA कीमतें तय करता और लागू करवाता है; व्यापार मार्जिन की सीमा उसका अधिक धारदार औज़ार है — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority) की स्थापना 1997 में हुई थी और अब यह औषध विभाग का संलग्न कार्यालय है। यह अधिकतम मूल्य तय करता है और अधिक वसूली गई राशि वापस लेता है। फ़रवरी 2019 में उसने आदेश के अंतर्गत प्राप्त जनहित की शक्ति का प्रयोग करके 42 गैर-अनुसूचित कैसर-रोधी दवाओं के लिए व्यापार मार्जिन, यानी स्टॉकिस्ट को दी जाने वाली कीमत और MRP के बीच का अंतर, 30% पर सीमित कर दिया, जिससे MRP वास्तविक बिक्री मूल्य के करीब आ गए।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. स्वास्थ्य वित्तपोषण और विनियमन GS2 का स्थायी विषय है — GS2 की पंक्ति “स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे” में जब से होने वाला खर्च भी आता है। इस विषय पर प्रश्न यह पूछते हैं कि कीमत नियंत्रण मरीज़ तक क्यों नहीं पहुँच पाता, और यह कार्ड उसका ठोस उत्तर देता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी किया गया है; इसके अधिकतम मूल्य राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची की दवाओं पर लागू होते हैं। ● गैर-अनुसूचित दवाओं के लिए निर्माता एक वर्ष में MRP में 10% से अधिक वृद्धि नहीं कर सकता। ● व्यापार मार्जिन का युक्तिकरण स्टॉकिस्ट को दी जाने वाली कीमत और MRP के बीच के अंतर को सीमित करता है; औषध विभाग के अधीन NPPA ने 2019 में 42 कैसर-रोधी दवाओं पर 30% की सीमा लगाई।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — बाज़ार और राज्य: अस्पताल कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए कीमत की सीमा कीमत का लक्ष्य बन जाती है — खरीदार किसी दूसरे दवा-विक्रेता के पास जा सकता है; भर्ती कैसर रोगी नहीं जा सकता, और उसे पता भी नहीं होता कि अस्पताल ने दवा किस दाम पर खरीदी।

	यह बंधक खरीदार के साथ सूचना की विषमता है, जो विक्रेता को क्रानून की अनुमति के अधिकतम स्तर तक वसूली करने देती है; इसलिए जो MRP सीमा के रूप में बना था, वही बिल बन जाता है। उचित निष्कर्ष यह है कि यह बाज़ार की विफलता है जिसे राज्य को ठीक करना होगा, और खरीद की कीमतों को दृश्य बनाकर ही यह संभव है। 2. कंपनियाँ MRP इसलिए बढ़ाती हैं क्योंकि अस्पताल इसका पुरस्कार देते हैं — ऊँचे MRP वाला ब्रांड अस्पताल को बड़ा मार्जिन देता है और इसलिए ईमानदार कीमत वाले प्रतिद्वंद्वी की तुलना में ऑर्डर जीत लेता है; यानी प्रतिस्पर्धा उलटी दिशा में चलती है। व्यापार मार्जिन की सीमा इसी प्रोत्साहन पर सीधा प्रहार करती है, और इसी कारण 2019 में कैसर की दवाओं पर लगी सीमा से कीमतें तेज़ी से घटीं। प्रति-दृष्टिकोण यह है कि मार्जिन से अस्पतालों की दवा दुकानें और शीत शृंखला चलती हैं, इसलिए सीमा तय करते समय रख-रखाव शुल्क के लिए गुंजाइश छोड़नी होगी। 3. नकली और बढ़ी हुई कीमत वाली दवाएँ एक ही अपारदर्शी शृंखला से आती हैं — द हिंदू के अनुसार नियामकों ने 2025-26 में 1,41,322 दवा नमूनों की जाँच की, यानी शीशी के भीतर क्या है, यह देखा गया; पर मरीज़ ने उसके लिए क्या चुकाया, यह कोई नहीं जाँचता। खरीद के बिलों को मरीज़ के बिल से जोड़ दिया जाए तो गुणवत्ता और कीमत, दोनों एक साथ सधेंगी।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत में कीमत नियंत्रण फैक्टरी के द्वार तक के दाम को नियमित करता है, अस्पताल के बिस्तर तक के नहीं। अस्पतालों में दवाओं पर मुनाफ़ाखोरी के हालिया निष्कर्षों के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — टिप्पणी कीजिए — प्रमाणों के साथ तर्कसंगत मत दीजिए और स्पष्ट राय के साथ समाप्त कीजिए। 2. प्रस्तावना — कर्नाटक के 253 मामलों और 52 गुना मुनाफ़े से शुरू कीजिए — लगभग 20 शब्द। 3. 2013 का आदेश छपी हुई कीमत पर सीमा लगाता है, अस्पताल के मार्जिन पर नहीं — राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची की दवाओं के लिए अधिकतम मूल्य, अन्य के लिए 10% की वार्षिक सीमा। 4. बंधक मरीज़ के कारण कीमत की सीमा ही बिल बन जाती है — प्रवाह-चित्र बनाइए: फैक्टरी मूल्य → संस्थागत मूल्य → MRP → मरीज़ का बिल, और जहाँ अंतर पैदा होता है उसे चिह्नित कीजिए। 5. जहाँ आजमाई गई, वहाँ व्यापार मार्जिन की सीमा कारगर रही — मूल्यवर्धन: 42 कैसर-रोधी दवाओं पर NPPA की 2019 की 30% की सीमा। 6. निष्कर्ष — मार्जिन की सीमा को अस्पताल-निर्भर दवाओं तक बढ़ाइए और बिलों पर खरीद मूल्य छापिए — लगभग 15 शब्द।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप राज्य के औषध नियंत्रक हैं और आपने ये मुनाफ़ाखोरियाँ पकड़ी हैं। केंद्र के कार्रवाई करने से पहले आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं 253 विसंगतियों को खरीद और बिल की कीमतों के साथ प्रकाशित करूँगा, ताकि मरीज़ और बीमाकर्ता अंतर देख सकें। सरकारी बीमा के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों से कहूँगा कि सूचीबद्ध होने की शर्त के रूप में ये सामान खरीद मूल्य और एक निश्चित रख-रखाव शुल्क जोड़कर ही बिल करें। जो भी MRP स्वयं कीमत आदेश का उल्लंघन करता है, उसे वसूली के लिए NPPA को भेजूँगा।

7. समाज (Society)

सरकारी फॉर्म में लिखे शब्द नागरिक को बताते हैं कि राज्य उसे किस नज़र से देखता है। जनगणना 2027 की अधिसूचना का एक हिंदी शब्द दिखाता है कि पुरानी प्रशासनिक आदतें उन कानूनों से भी कितनी आसानी से बच निकलती हैं जो उन्हें समाप्त करने के लिए बने थे।

7.1 जनगणना 2027 की हिंदी अधिसूचना में दिव्यांगता के लिए “निःशक्तता” शब्द; महापंजीयक ने इसे भूलवश हुआ बताया

मुद्दा जनगणना 2027 और जनसांख्यिकीय आँकड़े (कडी 4) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था • परंपरा और सामाजिक न्याय

अब तक की कहानी महापंजीयक ने 1981 की ‘जनगणना कस्बे’ की परिभाषा बनाए रखी है और जाति को खुले स्तंभ में दर्ज किया जाएगा, जबकि सारणीकरण अभी तय नहीं है। डिजिटल स्व-गणना चल रही है, और गृह मंत्रालय ने धर्म-वार आँकड़े माँगे हैं जो राज्यों के अनुसार उनके पास नहीं हैं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार कार्यकर्ताओं ने जनगणना 2027 में “निःशक्त” (अक्षम) शब्द पर आपत्ति जताई है और इसे “अपमानजनक” तथा “अवैध” बताया है। गृह मंत्रालय की 14 अगस्त 2026 की हिंदी राजपत्र अधिसूचना में जनगणना अधिकारियों के लिए 40 मापदंड दिए गए हैं; क्रम संख्या 13 पर वह “निःशक्तता” (अक्षमता) शब्द का प्रयोग करती है, जबकि अंग्रेज़ी पाठ में “disability” लिखा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनगणना करने वाले भारत के महापंजीयक (RGI) ने 2011 के मापदंडों की प्रतिलिपि बना ली और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का ध्यान नहीं रखा। दिव्यांगजन अधिकार अधिवक्ता समूह के अक़ील अहमद उस्मानी ने इसे “अपमानजनक और अप्रचलित” कहा; NCPEDP के अरमान अली ने कहा कि गिने जाने का अवसर “15 वर्ष बाद आया है”। RGI कार्यालय ने ET से कहा कि पहले का प्रयोग “भूलवश हुआ” था, गणना फॉर्म में अब “दिव्यांगता” शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, और राजपत्र में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। यह उस सूत्र में नई बात है जो अब तक जाति और स्व-गणना के बारे में था।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2011 की जनगणना में “निःशक्तता” शब्द चला → 2016 का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आया और सरकारी हिंदी “दिव्यांगजन” की ओर बढ़ी → 2026 की हिंदी अधिसूचना में 2011 का मापदंड ज्यों का त्यों दोहरा दिया गया → स्व-गणना शुरू होते ही कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति उठाई → RGI ने इसे भूलवश हुआ बताया

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने दिव्यांग माने जाने वालों का दायरा बढ़ाया — दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) ने 1995 के अधिनियम का स्थान लिया और मान्य दिव्यांगताओं की संख्या सात से बढ़ाकर 21 कर दी, जिसमें ऑटिज़्म, थैलेसीमिया और तेज़ाब हमले जैसी स्थितियाँ जुड़ीं। “बेंचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति” वह है जिसमें किसी निर्दिष्ट दिव्यांगता का कम-से-कम 40% हो; उसे सरकारी पदों में 4% और सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों की 5% सीटों में आरक्षण मिलता है। 2. यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करता है — भारत ने 2007 में दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) की अभिपुष्टि की थी। यह अभिसमय दिव्यांगता को शारीरिक या मानसिक क्षति और समाज की बाधाओं की अंतःक्रिया से उत्पन्न मानता है, जिसे सामाजिक मॉडल कहा जाता है। पुराना चिकित्सा मॉडल दिव्यांगता को व्यक्ति के भीतर का ऐसा दोष मानता है जिसका इलाज होना चाहिए, और “अक्षम” उसी मॉडल की शब्दावली है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. वंचित वर्गों के लिए बने क़ानून GS2 में बार-बार आते हैं — GS2 की पंक्ति “इन वंचित वर्गों की सुरक्षा और बेहद तरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय” में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम सीधे आता है, और जनगणना के आँकड़ों की गुणवत्ता GS1 के “जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे” के अंतर्गत आती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताएँ मान्य हैं, जबकि 1995 के अधिनियम में सात थीं, और यह बेंचमार्क दिव्यांगता को किसी निर्दिष्ट दिव्यांगता के कम-से-कम 40% के रूप में परिभाषित करता है। ● भारत ने 2007 में दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की अभिपुष्टि की थी। ● जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — परंपरा और सामाजिक न्याय: शब्द अपने साथ एक मॉडल लाता है, और वही मॉडल गिनती तय करता है — लोगों से पूछना कि क्या वे “अक्षम” हैं, “नहीं” के उत्तर को आमंत्रित करता है, क्योंकि बहुत कम लोग स्वयं को ऐसा बताते हैं; जबकि देखने, चलने या सीखने में

	कठिनाई के बारे में पूछे गए प्रश्न का ईमानदार उत्तर मिलता है। इसलिए भाषा केवल गरिमा को नहीं, बल्कि राज्य को मिलने वाली संख्या को भी प्रभावित करती है, और वही संख्या बजट तथा आरक्षण तय करती है। एक सावधान अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि फॉर्म को 2016 के अधिनियम की भाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि कलंकित करने वाला शब्द कम गिनती देता है। 2. स्व-गणना से शब्दों का महत्त्व और बढ़ जाता है — गणनाकर्ता किसी प्रश्न को नरमी से समझा सकता है; डिजिटल स्व-गणना में नागरिक सरकारी शब्द को स्क्रीन पर अकेले पढ़ता है। कुछ परिवार यह प्रश्न छोड़ देंगे, विशेषकर बच्चों और बुजुर्ग रिश्तेदारों के बारे में। जो चूक साक्षात्कार में निकल जाती, वह ऑनलाइन गंभीर बन जाती है। 3. एक शब्द की जगह दूसरा शब्द रख देना सुधार नहीं है — सरकार “दिव्यांग” शब्द को पसंद करती है, जिसका आशय मोटे तौर पर “दिव्य देह” है, और कई दिव्यांगजन संगठनों ने स्वयं इस पर प्रश्न उठाया है, यह कहते हुए कि लोग अधिकार और सुगम्यता चाहते हैं, श्रद्धा नहीं। प्रति-दृष्टिकोण यह है कि सम्मानजनक शब्द मंशा का संकेत देता है। अधिनियम की असली कसौटी सुगम्यता और समान व्यवहार है, जो कोई शब्द नहीं दे सकता।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“राज्य की भाषा तय करती है कि दिव्यांगजनों की गिनती और सेवा कैसे होती है।” जनगणना 2027 के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — कथन को प्रमाणों की कसौटी पर परखिए और यह मत बनाइए कि वह कितना सही है। 2. प्रस्तावना — हिंदी अधिसूचना की क्रम संख्या 13 पर दोहराया गया 2011 का शब्द — लगभग 20 शब्द। 3. कलंकित करने वाला प्रश्न कम गिनती पैदा करता है — दो बॉक्स बनाइए: चिकित्सा मॉडल (दोष, इलाज) और सामाजिक मॉडल (क्षति के साथ बाधाएँ), और दोनों जो प्रश्न पूछेंगे वह लिखिए। 4. गिनती ही हुक तय करती है — मूल्यवर्धन: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की 21 दिव्यांगताएँ, 40% वेंचमार्क और 4% आरक्षण विश्वसनीय संख्याओं पर निर्भर हैं। 5. निष्कर्ष — राजपत्र में संशोधन कीजिए और कार्यात्मक कठिनाई के बारे में पूछिए — लगभग 15 शब्द।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप ज़िला जनगणना अधिकारी हैं और परिवार दिव्यांगता वाला प्रश्न छोड़ रहे हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं गणनाकर्ताओं और हेल्पलाइन कर्मचारियों को सही शब्द के साथ एक संक्षिप्त नोट दूँगा और उनसे कहूँगा कि वे प्रश्न को रोज़मर्रा के कामों में कठिनाई के रूप में पूछें। स्थानीय दिव्यांगजन संगठनों के साथ शिविर लगाऊँगा, ताकि परिवार समझें कि लाभों के लिए गिना जाना क्यों मायने रखता है। राजपत्र की त्रुटि की औपचारिक सुधार के लिए जनगणना कार्य निदेशालय को सूचना दूँगा। उद्देश्य केवल शब्द सुधारना नहीं, सटीक गिनती सुनिश्चित करना है।

8. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

9/11 के बाद कॉकपिट का मज़बूत दरवाज़ा हमलावरों को बाहर रखने के लिए बनाया गया था; फ़्लाईडुबई की उड़ान में हमलावर पहले से भीतर था। भारत का जवाब है अपने ही विमानन कार्यबल पर अधिक निगरानी रखना, जो सही सहज बोध है और साथ ही इस बात की असली परीक्षा भी कि बायोमेट्रिक निगरानी को कैसे शासित किया जाता है।

8.1 फ़्लाईडुबई कॉकपिट में चाकूबाज़ी के बाद भारत ने विमानन कर्मचारियों के लिए चेहरा पहचान और बाँडी स्कैनर अनिवार्य किए

मुद्दा Aviation security (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय • स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी हवाई अड्डों की सुरक्षा यात्रियों की जाँच और प्रवेश पर कर्मचारियों के पास की जाँच पर टिकी है। 25 सितंबर को डिजी यात्रा ने पाँच हवाई अड्डों पर चेहरे से बोर्डिंग के प्रायोगिक परीक्षण की घोषणा की थी।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि भारत में विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों के कर्मचारियों को चेहरा पहचान जाँच से गुज़रना होगा और ओठ प्रमुख हवाई अड्डों पर पूर्ण-शरीर स्कैनर लगाए जाएंगे। ये कदम बुधवार को फ़्लाईडुबई की दुबई-तेल अवीव उड़ान की घटना के बाद उठाए गए हैं, जिसमें 174 यात्री सवार थे और सह-पायलट ने कथित रूप से कप्तान, भारतीय नागरिक स्मित मच्छर, को चाकू मारा और विमान को गिराने की कोशिश की; कप्तान ने कॉकपिट का दरवाज़ा खोल दिया ताकि यात्री उसे क़ाबू कर सकें, और विमान सऊदी अरब के तबूक में उतरा। द हिंदू के अनुसार UAE एक संभावित “आतंकी” कड़ी की जाँच कर रहा है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के महानिदेशक राजेश निरवान ने कहा कि प्रवेश पास, जो अभी भौतिक कार्ड हैं, पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे; हर वर्ष लगभग 15 लाख पास जारी होते हैं। नागर विमानन सचिव समीर सिन्हा ने कहा कि स्कैनर तीन हवाई अड्डों तक पहुँच चुके हैं।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

9/11 के बाद कॉकपिट के मज़बूत दरवाज़े आए → सुरक्षा बाहरी लोगों को दूर रखती रही → फ़्लाईडुबई की उड़ान में खतरा भीतर बैठा चालक दल का सदस्य निकला → भारत भीतरी जोखिम की ओर मुड़ा: कर्मचारियों की बायोमेट्रिक जाँच, डिजिटल पास और बाँडी स्कैनर

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. BCAS नागरिक विमानन सुरक्षा का वैधानिक नियामक है — नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security) की शुरुआत DGCA के एक प्रकोष्ठ के रूप में हुई और 1987 में यह नागर विमानन मंत्रालय के अधीन अलग विभाग बन गया। विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने इसे वैधानिक दर्जा दिया, और भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024), जिसने विमान अधिनियम, 1934 का स्थान लिया, इसे बनाए रखता है। BCAS प्रवेश पास और सुरक्षा मानक जारी करता है; अधिकांश प्रमुख हवाई अड्डों पर CISF का विमानन सुरक्षा समूह लोगों की जाँच करता है।
2. निजता का क़ानून वह कसौटी तय करता है जिस पर चेहरा पहचान की किसी भी अनिवार्यता को खरा उतरना होगा — न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार माना। किसी भी हस्तक्षेप को क़ानून का समर्थन, वैध उद्देश्य, आनुपातिकता और दुरुपयोग के विरुद्ध रक्षोपाय चाहिए। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) ऐसे डेटा को नियंत्रित करता है, पर केंद्र को सुरक्षा के आधार पर राज्य की एजेंसियों को छूट देने की अनुमति देता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. सुरक्षा बल, एजेंसियाँ और उनका अधिदेश GS3 पाठ्यक्रम की एक पंक्ति है — GS3 की पंक्ति “विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियाँ तथा उनका अधिदेश” में BCAS और CISF आते हैं, और मूल अधिकारों वाली GS2 की पंक्ति में निजता आती है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- 1944 के शिकागो अभिसमय का अनुबंध 17 विमानन सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के मानक तय करता है।
- 1970 का हेग अभिसमय विमान के गैरकानूनी अपहरण से संबंधित है; 1971 का मॉन्ट्रियल अभिसमय नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों से।
- अपहरण-रोधी अधिनियम, 2016 (Anti-Hijacking Act, 2016) उन मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान करता है जहाँ अपहरण के कारण किसी बंधक या सुरक्षाकर्मी की मृत्यु हो जाए।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. दृष्टि — नवाचार और रक्षोपाय: कर्मचारियों की बायोमेट्रिक जाँच उचित है, पर लिखित नियमों के साथ ही — हवाई अड्डा उच्च जोखिम वाला स्थल है, और यह सत्यापित करना कि पास उसके मालिक के पास ही है, एक वैध उद्देश्य है जो पुट्टस्वामी की कसौटी पर आसानी से खरा उतरता है। कठिन प्रश्न ये हैं कि प्रणाली और क्या दर्ज करती है, चेहरे का डेटा कितने समय

	तक रखा जाएगा और उसे कौन खोज सकेगा। प्रकाशित नियमों के बिना सुरक्षा का औज़ार 15 लाख कामगारों के ट्रैकिंग डेटाबेस में बदल सकता है। इसे अपनाइए, पर उद्देश्य, अवधारण और लेखा-परीक्षा पर वैधानिक मानक के साथ। 2. चेहरा पहचान “यह कौन है?” का उत्तर देती है, “इसकी मंशा क्या है?” का नहीं — फ़्लाइडुबर्ड का सह-पायलट वास्तविक, अधिकृत कर्मचारी था; चेहरे की जाँच उसे भीतर जाने देती। भीतरी खतरे का प्रबंधन पृष्ठभूमि की जाँच, चालक दल के मानसिक स्वास्थ्य की जाँच, कॉकपिट में दो व्यक्तियों के नियम और ऐसी संस्कृति से होता है जहाँ सहकर्मी चिंताओं की सूचना देते हैं। नए उपाय उधार लिए गए पास और जाली कार्ड की खामी को बंद करते हैं, पर किसी बागी पायलट के विरुद्ध वे कोई बचाव नहीं हैं। 3. बाँडी स्कैनर गैर-धात्विक खतरों की पहचान के बदले निजता का सौदा करते हैं — मेटल डिटेक्टर सिरेमिक ब्लेड और प्लास्टिक विस्फोटक पकड़ने में चूक जाता है; बाँडी स्कैनर नहीं चूकता, इसीलिए दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि में परीक्षण हुए। कीमत है शरीर की छवि, इसलिए स्वीकार्यता इस पर निर्भर है कि असली छवियों के बजाय स्वचालित रेखाचित्र दिखें और हाथ से तलाशी चुनने का अधिकार मिले।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भीतरी खतरे विमानन सुरक्षा की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं। निजता के अधिकार के संदर्भ में फ़्लाइडुबर्ड की घटना के बाद भारत की प्रतिक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — तौलिए कि उपाय क्या हासिल करते हैं, उनकी सीमाएँ और जोखिम क्या हैं, और फिर निर्णय पर पहुँचिए। 2. प्रस्तावना — 9/11 के बाद के दरवाज़े बाहरी लोगों को रोकते हैं; यह हमलावर भीतर था — घटना और भारत की घोषणा के साथ लगभग 30 शब्द। 3. उपाय 15 लाख पासों की पहचान की खामी को बंद करते हैं — डिजिटल पास और चेहरे का मिलान उधार लिए या जाली कार्डों को रोकते हैं; स्कैनर गैर-धात्विक वस्तुएँ पकड़ते हैं। 4. वे मंशा का पता नहीं लगा सकते, जो भीतरी जोखिम का मूल है — परतदार आरेख बनाइए: पहचान की जाँच → पृष्ठभूमि की जाँच → व्यवहार की निगरानी → कॉकपिट में दो व्यक्तियों का नियम। 5. बायोमेट्रिक डेटा के आनुपातिक होने के लिए उसे क़ानूनी ढाँचा चाहिए — मूल्यवर्धन: पुट्टस्वामी (2017) की कसौटियाँ और DPDP अधिनियम, 2023। 6. निष्कर्ष — प्रकाशित बायोमेट्रिक मानक के अंतर्गत भीतरी जोखिम का परतदार प्रबंधन — लगभग 25 शब्द।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप हवाई अड्डा निदेशक हैं और ज़मीनी कर्मचारियों के संघ को आशंका है कि चेहरे के डेटा से उपस्थिति पर नज़र रखी जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। आप क्या उत्तर देंगे? दृष्टिकोण (Approach): आपत्ति उचित है: सुरक्षा के लिए एकत्र किया गया डेटा चुपचाप कार्यस्थल की निगरानी नहीं बन जाना चाहिए। मैं लिखित आदेश जारी करूँगा जो प्रणाली को केवल प्रवेश सत्यापन तक सीमित करे, अवधारण की अवधि छोटी रखे और केवल BCAS तथा CISO को दर्ज किए गए अनुरोधों पर पहुँच दे। संघ को समीक्षा समिति में स्थान दिया जाएगा। जिस सुरक्षा पर कार्यबल को भरोसा हो वह अधिक मज़बूत होती है, क्योंकि किसी सहकर्मी को संकट में सबसे पहले भीतर के लोग ही देखते हैं।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

केस 1 — तीन लगभग एक-जैसे प्रमाण-पत्र, और वह अधिकारी जिसे असली बच्चे की रक्षा करनी है

परिदृश्य (SCENARIO) इंडियन एक्सप्रेस (1 अक्टूबर) के अनुसार पुलिस पुरानी दिल्ली के तीन परिवारों की जाँच कर रही है, जिन पर चाणक्यपुरी के एक विद्यालय में चार, पाँच और छह वर्ष के बच्चों के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CwSN) श्रेणी के अंतर्गत नर्सरी में प्रवेश पाने हेतु जाली दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और शिक्षा निदेशालय की अनुशंसा-पत्र जमा करने का आरोप है। प्रमाण-पत्र “लगभग एक-जैसे दिखते” थे; सभी में एक ही अस्पताल से 41% श्रवण-बाधा का दावा था, जबकि अस्पताल ने पुलिस को बताया कि उसने कोई प्रमाण-पत्र जारी ही नहीं किया। विद्यालय ने 16 सितंबर को पुलिस से संपर्क किया और भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) के अंतर्गत धोखाधड़ी, जालसाज़ी और षड्यंत्र की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई है। मान लीजिए आप किसी ज़िले के उप शिक्षा निदेशक हैं। इस समाचार के बाद एक अन्य प्रधानाचार्य आपको CwSN का एक आवेदन भेजता है, आग्रह करता है कि सीटें पक्की करने से पहले हर प्रमाण-पत्र की अस्पतालों से दोबारा पुष्टि कराई जाए, और चेतावनी है कि भयवश असली अभिभावक नाम वापस ले सकते हैं। एक रसूखदार व्यक्ति फ़ोन करके आपसे एक परिवार के अनुशंसा-पत्र पर “नरमी बरतने” को कहता है।

प्रश्न 1. परस्पर टकराते हितों और नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। जब कोई जाली प्रमाण-पत्र सीट जीत लेता है तो हानि किसकी होती है?

प्रश्न 2. हर दिव्यांग बच्चे के परिवार को संदिग्ध माने बिना आप प्रमाण-पत्रों की जाँच कैसे करेंगे?

प्रश्न 3. आप फ़ोन करने वाले को क्या उत्तर देंगे, और दोषी पाए गए परिवार के साथ क्या होना चाहिए?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- जाली सीट, चुराई हुई सीट है; और पीड़ित वह बच्चा है जो इस चोरी को देख भी नहीं सकता — हर नकली प्रमाण-पत्र किसी वास्तविक दिव्यांग बच्चे को सीमित कोटे से बाहर कर देता है। धोखाधड़ी से कोटे पर जनता का भरोसा भी घटता है। यहाँ ईमानदारी और करुणा एक ही दिशा में चलती हैं: सख्त कार्रवाई असली आवेदक की रक्षा करती है।
- दस्तावेज़ की जाँच कीजिए, परिवार की नहीं — जाँच जारीकर्ता प्राधिकारी, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (UDID) पोर्टल और ज़िले के एक नोडल अधिकारी के माध्यम से कराइए। यही जाँच हर आवेदक पर समान रूप से लागू कीजिए, ताकि किसी एक परिवार को निशाना न बनाया जाए। एक छोटी, सार्वजनिक रूप से घोषित समय-सीमा तय कीजिए, जिससे ईमानदार अभिभावकों को प्रतीक्षा में न रहना पड़े।
- एहसान से मना कीजिए और उसे लिखित रिकॉर्ड में दर्ज कीजिए — फ़ोन करने वाले से कहिए कि पत्र की जाँच अन्य पत्रों की तरह ही होगी, और उस कॉल को लिखित रूप में दर्ज कर लीजिए। जालसाज़ी का प्रमाण पुलिस को सौंपा जाए, निजी समझौते के लिए नहीं। दोष तय करना न्यायालय का काम है और विद्यालय संबंधी कार्रवाई विभाग का; इस प्रकार हम दोनों में से किसी के बारे में पूर्व-निर्णय से बचते हैं।
- निष्कर्ष — ईमानदारी को धोखाधड़ी से सस्ता बनाइए — ऐसे डिजिटल प्रमाण-पत्र, जिन्हें विद्यालय ऑनलाइन सत्यापित कर सके, और निश्चित दंड कोटे की तथा असली परिवारों की गरिमा की रक्षा करेंगे।

केस 2 — काफ़िले की प्रतीक्षा करती एम्बुलेंस

परिदृश्य (SCENARIO) द हिंदू (2 अक्टूबर) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने काफ़िले को निकालने के लिए एम्बुलेंस रोके जाने का मरीज़ की मृत्यु से “कोई संबंध नहीं” है। बुधवार को सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाए जा रहे मरीज़ की गुरुवार सुबह मृत्यु हो गई; मुख्यमंत्री ने गंभीर यकृत रोग का हवाला दिया और कहा कि “उनके या किसी भी मंत्री के आवागमन से लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।” इंडियन एक्सप्रेस (1 अक्टूबर) ने अलग से दिल्ली के बारापुला फ़ेज़-3 फ़्लाईओवर पर चार एम्बुलेंस फँसे होने की खबर दी। मान लीजिए आप अपने ज़िले में किसी मंत्री के दौरे के लिए उत्तरदायी पुलिस अधीक्षक हैं। पायलट वाहन रैंडियो पर बताता है कि मार्ग पर मरीज़ को लेकर एक एम्बुलेंस आ रही है। मंत्री का कार्यालय कहता है कि कार्यक्रम-सूची कसी हुई है और पाँच मिनट की देरी से वे एक समारोह में नहीं पहुँच पाएँगे। आपका एस्कॉर्ट कमांडर कहता है, “प्रोटोकॉल कहता है कि सड़क खाली कराओ।”

प्रश्न 1. किसका दावा पहले आता है: मंत्री की कार्यक्रम-सूची, एस्कॉर्ट का प्रोटोकॉल या मरीज़ की आवश्यकता? तर्क दीजिए।

प्रश्न 2. अगले दस सेकंड में आप अपने एस्कॉर्ट कमांडर को क्या निर्देश देंगे, और बाद में मंत्री के कार्यालय को क्या बताएँगे?

प्रश्न 3. अपने ज़िले के वीआईपी-आवागमन संबंधी नियमों में आप क्या बदलाव करेंगे, ताकि यह चुनाव सड़क पर करना ही न पड़े?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- जीवन कार्यक्रम-सूची से ऊपर है, और अधिकारी के कार्य करने के लिए किसी नियम को यह कहने की आवश्यकता नहीं — सर्वोच्च न्यायालय ने परमानंद कटारा (1989) में कहा कि जीवन की रक्षा करना राज्य का पहला कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है।

प्रोटोकॉल मंत्री की सुरक्षा के लिए है, मरीज़ को उपचार तक पहुँचने से रोकने के लिए नहीं। देरी से परिणाम बदला या नहीं, यह जाना नहीं जा सकता और प्रासंगिक भी नहीं; निर्णय को उसी क्षण की परिस्थिति में परखा जाता है जब वह लिया जाता है।

2. एम्बुलेंस को तुरंत निकलने दीजिए, फिर स्पष्ट रूप से रिपोर्ट कीजिए — एस्कॉर्ट को रास्ता देने का आदेश दीजिए और लॉग में समय तथा कारण दर्ज कीजिए। मंत्री के कार्यालय को बिना खेद या दोषारोपण के तथ्य बताइए, और एक सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था सुझाइए। यहाँ साहस का अर्थ है नाराज़गी स्वयं झेलना, किसी कनिष्ठ से झेलने को न कहना।
3. व्यवस्थाएँ ऐसी हों कि सही विकल्प ही स्वाभाविक विकल्प बने — एम्बुलेंस को प्राथमिकता देने वाले स्थायी आदेश, अस्पतालों और नियंत्रण कक्ष के साथ साझा किया गया सीधा (लाइव) मार्ग-नियोजन, और छोटे काफ़िले सुनिश्चित कीजिए। किसी समारोह को कुछ मिनट आगे-पीछे करने की लागत, आपात स्थिति में हुई देरी की तुलना में बहुत कम है।
4. निष्कर्ष — गांधीजी का जंतर ही कसौटी है — गांधीजी का प्रसिद्ध जंतर हमसे कहता है कि उस सबसे ग़रीब और कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करें जिसे हमने देखा हो, और सोचें कि हमारा कदम उसके किसी काम आएगा या नहीं। एम्बुलेंस में पड़ा मरीज़ ठीक वही व्यक्ति है।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस — 2 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा	संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को पारित प्रस्ताव A/RES/61/271 द्वारा इस दिवस की स्थापना की, और यह 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्मदिन, को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा और जन-जागरूकता के माध्यम से अहिंसा का संदेश फैलाना तथा शांति, सहिष्णुता और आपसी समझ की संस्कृति की पुनः पुष्टि करना है (संयुक्त राष्ट्र)।
लद्दाख — भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्रों पर 28 स्थान अंकित; मानचित्रण प्राधिकारी कौन है	गृह मंत्रालय ने लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश से परामर्श के बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) के मानचित्रों पर 28 स्थान और भौगोलिक संरचनाएँ अंकित की हैं, जिनमें 11 चोटियाँ, 2 दर्रे और 2 हिमनद शामिल हैं (PIB, 2 अक्टूबर)। 1767 में स्थापित भारतीय सर्वेक्षण विभाग देश की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है।
बंगाल के OBC प्रमाण-पत्र — अनुच्छेद 15(4), 16(4), 338B और 342A	सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें एक निर्दिष्ट अवधि में जारी OBC प्रमाण-पत्र रद्द किए गए थे, और कहा है कि नियुक्तियाँ अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगी (द हिंदू)। अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 16(4) सरकारी पदों में आरक्षण की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन (2018) द्वारा अनुच्छेद 338B के अंतर्गत संवैधानिक निकाय बना, और इसी संशोधन से केंद्रीय सूची से संबंधित अनुच्छेद 342A जोड़ा गया।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) — अनुच्छेद 320 के कार्य और अनुच्छेद 323 की वार्षिक रिपोर्ट	UPSC की शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि चयन में जटिल समस्याओं के समाधान और दूरदर्शिता की परख को प्राथमिकता दी जाए (द हिंदू)। अनुच्छेद 320 आयोग को परीक्षाएँ आयोजित करने का दायित्व और भर्ती नियमों, पदोन्नति, स्थानांतरण तथा अनुशासनात्मक मामलों में परामर्शदात्री भूमिका देता है। अनुच्छेद 323 के अंतर्गत वह वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञापन के साथ संसद के समक्ष रखते हैं; ज्ञापन में उन मामलों का कारण बताया जाता है जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई।
तवांग — अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट और मैकमोहन रेखा	पर्यटन मंत्रालय 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित करेगा, जिसमें चीन सहित लगभग 20 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है (द इंडियन एक्सप्रेस)। चीन अरुणाचल प्रदेश को “जांगनान” कहता है और उस पर दावा करता है। पूर्व में भारत-चीन सीमा 1914 के शिमला सम्मेलन में खींची गई मैकमोहन रेखा के साथ-साथ चलती है।
बक्सा बाघ अभयारण्य — बाघिन का स्थानांतरण, NTCA और धारा 38V	बिहार के वाल्मीकि बाघ अभयारण्य की एक बाघिन को IAF के विमान से हासिमारा लाया गया और पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार स्थित बक्सा बाघ अभयारण्य में छोड़ने की तैयारी है, जहाँ फ़िलहाल कोई बाघ नहीं है (द इकोनॉमिक टाइम्स)। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [Wildlife (Protection) Act, 1972] के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसे 2006 में जोड़ा गया। धारा 38V राज्य को NTCA की सलाह पर बाघ अभयारण्य अधिसूचित करने का प्रावधान देती है, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था।
ज़ीनोकोर्टिकेशन — चूहे के भीतर उगाया गया मानव मस्तिष्क उतक	स्टैनफ़र्ड के एक प्रयोग, जिसे ज़ीनोकोर्टिकेशन (xenocortication) कहा जाता है, में प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं से उगाए गए मानव कॉर्टिकल ऑर्गेनॉइड को ऐसे चूहों में प्रत्यारोपित किया जाता है जिन्हें अपने अधिकांश कॉर्टेक्स के बिना विकसित किया गया है, ताकि मानव मस्तिष्क के विकास का अध्ययन हो सके (द हिंदू)। “ज़ीनो” का अर्थ है किसी अन्य प्रजाति से उत्पन्न। प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाएँ वे वयस्क कोशिकाएँ हैं जिन्हें पुनः-अभिक्रमित कर भ्रूण जैसी अवस्था में लाया जाता है; इसी कार्य के लिए शिन्या यामानाका को 2012 का नोबेल पुरस्कार साझा रूप से मिला।
इराक — सशस्त्र गुटों को 30 जून 2027 तक हथियार राज्य को सौंपने का निर्देश	प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने सशस्त्र गुटों के लिए हथियार सौंपने की समय-सीमा 30 जून 2027 तय की है, जबकि 30 सितंबर की पहले वाली समय-सीमा वापस ले ली गई; ईरान समर्थित कुछ समूहों का कहना है कि वे किसी समय-सीमा से बंधे नहीं हैं (द हिंदू, 2 अक्टूबर)। लक्ष्य हथियारों पर राज्य का एकाधिकार है, जो वेबर की राज्य की परिभाषा की बुनियादी कसौटी है।
RBI एकीकृत लोकपाल योजना — “एक राष्ट्र, एक लोकपाल”	भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 [Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2026] जुलाई 2026 में प्रभावी हुई, जिसमें “एक राष्ट्र, एक लोकपाल” दृष्टिकोण के अंतर्गत शिकायतों का निपटारा क्षेत्राधिकार-निरपेक्ष ढंग से होता है (द इकोनॉमिक टाइम्स)। 2021 की पहली एकीकृत लोकपाल योजना ने पहले की बैंकिंग लोकपाल, NBFC और डिजिटल-लेनदेन योजनाओं को एक में मिला दिया था।
दिवाला और शोधन अक्षमता	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI), जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी, ने दस

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
संहिता, 2016 — धारा 9 और IBBI	वर्ष पूरे किए (PIB)। संहिता [Insolvency and Bankruptcy Code, 2016] की धारा 9 के अंतर्गत परिचालन ऋणदाता राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) में दिवाला याचिका तभी दायर कर सकता है जब कम से कम ₹1 करोड़ की चूक हुई हो। धारा 10A ने कोविड अवधि में नई याचिकाएँ दाखिल करना निलंबित कर दिया था, और चूक की गणना करते समय NCLT उस अवधि को बाहर रखता है (द इकोनॉमिक टाइम्स)।
सरफेसी अधिनियम, 2002 — न्यायालय गए बिना वसूली	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 [SARFAESI Act, 2002] बैंकों और वित्तीय संस्थानों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बंधक संपत्ति पर कब्जा लेने और उसकी नीलामी करके डूबे ऋण वसूलने की अनुमति देता है (द इकोनॉमिक टाइम्स)। ऐसी कार्रवाई से व्यथित उधारकर्ता ऋण वसूली अधिकरण से संपर्क कर सकता है। डूबे ऋण खरीदने वाली आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ इस अधिनियम के अंतर्गत RBI द्वारा विनियमित होती हैं।
विद्यालयी पाठ्यक्रम — समवर्ती सूची का विषय	पश्चिम बंगाल सरकार के एक पैनल ने जनवरी से लागू होने वाले विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों में जोड़ने और हटाने के सुझाव दिए हैं (द इंडियन एक्सप्रेस)। शिक्षा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 है, जिसे 42वें संशोधन (1976) द्वारा राज्य सूची से वहाँ लाया गया, इसलिए इस पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
मिशन ANMOL — दिल्ली में नवजात शिशुओं की आनुवंशिक जाँच; सिकल-सेल का नियम	दिल्ली का मिशन ANMOL, जो LNJP अस्पताल की चिकित्सा आनुवंशिकी प्रयोगशाला में चल रहा है, नवजात शिशुओं में 56 आनुवंशिक रोगों की जाँच का लक्ष्य रखता है (द इंडियन एक्सप्रेस)। सिकल-सेल रोग अलिंगसूत्री अप्रभावी (autosomal recessive) है: यदि दोनों माता-पिता इस लक्षण के वाहक हों, तो हर बच्चे में रोग विरासत में पाने की संभावना चार में एक होती है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2023 में शुरू किया गया था।
अनुच्छेद 143 — सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार	अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को, संसद या किसी समिति को नहीं, यह अधिकार देता है कि वह लोक-महत्व के किसी विधि या तथ्य संबंधी प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करे, और न्यायालय अपनी राय दे सकता है (द इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें एक सांसद की उस आपत्ति का उल्लेख है कि संसदीय समिति न्यायालय से परामर्श कर रही है)। यह राय सलाहकारी है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35B — बैंक प्रमुखों की RBI से स्वीकृति	किसी बैंक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक के लिए RBI की स्वीकृति आवश्यक है, जैसा कि HDFC बैंक की स्वीकृति के संदर्भ में बताया गया (द इंडियन एक्सप्रेस)। किसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक, MD या CEO के लिए लगातार कार्यकाल की ऊपरी सीमा 15 वर्ष है (द इकोनॉमिक टाइम्स)।
PNGRB — डाउनस्ट्रीम गैस नियामक और खुली पहुँच	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने 1 अक्टूबर को अपना 20वाँ स्थापना दिवस मनाया (PIB)। इसकी स्थापना PNGRB अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिशोधन, भंडारण, परिवहन और विपणन के नियमन के लिए की गई थी। पाइपलाइनों तक खुली पहुँच सामान्य वाहक (common-carrier) और संविदा वाहक (contract-carrier) के सिद्धांतों पर काम करती है (द इकोनॉमिक टाइम्स)।
डिजिटलॉकर — इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का डिजिटल इंडिया मंच	डिजिटलॉकर जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया के अंतर्गत शुरू किया गया था और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित है; इसमें नागरिकों के जारी किए गए दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं, जिसका दायरा सरकार निजी AI एकीकरणकर्ताओं के माध्यम से बढ़ा रही है (द इकोनॉमिक टाइम्स)।
PFRDA और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जो PFRDA अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक वैधानिक विनियामक है, ने नए NPS उत्पादों के शुभारंभ के साथ NPS दिवस मनाया (द इकोनॉमिक टाइम्स)। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 2004 में केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों के लिए शुरू हुई थी और 2009 में सभी नागरिकों के लिए खोल दी गई।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 2 अक्टूबर 2026 से ली गई है; जहाँ संकेतित है वहाँ आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरा तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अखबार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.2 (10 अंक, 150 शब्द)

क्या स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण की 'तिहरी जाँच' (ट्रिपल टेस्ट) प्रतिनिधित्व की सुरक्षा है या उसमें बाधा? टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

भूमिका — अनुच्छेद 243D(6) और 243T(6) राज्यों को स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने देते हैं। विकास किशनराव गवली (2021) ने तिहरी जाँच जोड़ी: समर्पित आयोग की अनुभवजन्य जाँच, निकाय-वार कोटा और कुल 50% सीमा।

- सुरक्षा: यह सही प्रश्न पूछती है** — के. कृष्ण मूर्ति (2010) ने माना कि राजनीतिक पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ेपन से भिन्न है। घरों की गिनती से परिषद में कम प्रतिनिधित्व नहीं दिखता, इसलिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने घरेलू सर्वेक्षण-आधारित 34% कोटा रद्द किया।
- बाधा: आँकड़ों की कमी रोकती है** — कम राज्यों में स्थायी आयोग हैं। कोटे गिरते हैं, चुनाव टलते हैं, निकाय अधिकारी चलाते हैं। जहाँ पिछड़े वर्ग आधी आबादी हैं, वहाँ 50% की सीमा भी खटकती है।

निष्कर्ष — जाँच प्रतिनिधित्व की रक्षा करती है; बाधा राज्यों की निष्क्रियता से बनती है। आगे की राह: वार्ड-स्तरीय आँकड़ों वाले स्थायी आयोग, उप-वर्गीकरण, और अनुच्छेद 243E तथा 243U के अंतर्गत समय पर चुनाव।

यह बनाइए: प्रस्तावना के बगल में एक पंक्ति में तीन खाने: समर्पित आयोग → स्थानीय निकाय-वार कोटा → 50% सीमा की जाँच; आंध्र प्रदेश के आदेशों को पहले खाने पर विफल दर्शाइए।

(146 शब्द)

11.2 GS1 कोना — इतिहास: चंपारण 1917: भारत में गांधीजी का पहला सत्याग्रह

आज का संदर्भ: सदाबहार विषय — गांधी जयंती; बक्सा के लिए बाधिन पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि बाघ अभयारण्य से आई (ET पृ. 5)

- तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत नील बागान मालिकों ने काश्तकारों को निचोड़ा** — उत्तर बिहार के चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक काश्तकारों को उनकी सबसे अच्छी ज़मीन के एक हिस्से पर नील उगाने को बाध्य करते थे। स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधीजी को चंपारण आने के लिए राज़ी किया।
- जाँच और खुली अवज्ञा इस पद्धति के दो अंग थे** — गांधीजी अप्रैल 1917 में मोतिहारी पहुँचे और धारा 144 के अंतर्गत उन्हें ज़िला छोड़ने का आदेश मिला। उन्होंने इनकार कर दिया और दंड भुगतने को तैयार हुए; मामला वापस ले लिया गया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और जे.बी. कृपलानी के साथ मिलकर उन्होंने किसानों के बयान दर्ज किए और शिकायत को साक्ष्य में बदल दिया।
- सरकार ने कानून के माध्यम से माँगें मानीं** — जून 1917 में गठित जाँच समिति में गांधीजी सदस्य के रूप में शामिल थे। चंपारण कृषि अधिनियम, 1918 [Champaran Agrarian Act, 1918] ने तिनकठिया प्रथा समाप्त कर दी, और बागान मालिकों ने जो धन वसूला था उसका एक-चौथाई लौटाया।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- तिनकठिया प्रथा में काश्तकार हर 20 कट्टे (एक बीघा) में से 3 कट्टे पर नील उगाने को बाध्य थे, यानी अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से पर।
- भारत में गांधीजी के पहले तीन अभियान थे: चंपारण (1917), अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918), जहाँ उन्होंने भारत में पहली बार उपवास किया, और खेड़ा (1918)।
- चंपारण कृषि अधिनियम, 1918 ने तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया।

11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
बक्सा बाघ अभयारण्य (Buxa Tiger Reserve)	उत्तर बंगाल के दुआर्स में अलीपुरद्वार ज़िला; उत्तर में भूटान की सीमा और सिंचुला की पहाड़ियाँ, पूर्व में असम।	वाल्मीकि की एक बाधिन को बक्सा में छोड़ा जा रहा है, जहाँ अभी कोई बाघ नहीं है (ET पृ. 5)।	1983 में बाघ अभयारण्य घोषित; इसमें से संकोश, रायडाक और जयंती नदियाँ बहती हैं।
वाल्मीकि बाघ अभयारण्य (Valmiki Tiger Reserve)	बिहार के उत्तरी पश्चिम चंपारण ज़िले में, नेपाल सीमा पर; उत्तर में नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान इससे सटा है और गंडक इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है।	बक्सा भेजी गई बाधिन का स्रोत (ET पृ. 5)।	बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य; इसमें भारत के सबसे पूर्वी हिमालयी तराई वन हैं।

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
तवांग (Tawang)	अरुणाचल प्रदेश का उत्तर-पश्चिमी भाग; पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में भूटान, उत्तर में तिब्बत (चीन); असम से सेला दर्रे के रास्ते पहुँचा जाता है।	27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का स्थल, जिसमें चीन आमंत्रितों में है (IE पृ. 1)।	छूटे दलाई लामा, त्सांगयांग ग्यात्सो, की जन्मभूमि
इंदौर (Indore)	पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर, खान और सरस्वती नदियों के किनारे; उत्तर में उज्जैन स्थित है।	न्यायिक आयोग ने भागीरथपुरा में पानी से हुई मौतों को रोके जा सकने योग्य पाया (1.3)।	खान नदी क्षिप्रा में मिलती है, जो चंबल की सहायक नदी है।

11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): जवाबदेही और 'अनेक हाथों' की समस्या (Accountability and the problem of many hands)

अर्थ — डेनिस थॉम्पसन का पद: जब कई अधिकारी किसी सार्वजनिक विफलता में थोड़ा-थोड़ा योगदान देते हैं, तो किसी एक पर ज़िम्मेदारी टिकती नहीं दिखती। उनका तर्क था कि व्यक्तियों को फिर भी अपने किए या न किए गए कार्य का उत्तर देना होगा; साझा दोष व्यक्तिगत कर्तव्य को समाप्त नहीं करता।

आज के समाचार में — इंदौर आयोग भागीरथपुरा की मौतों को दशकों की विफलताओं का संचयी परिणाम बताता है, फिर भी निविदा में देरी और असुरक्षित पाइप-बिच्छाव के लिए दो नगर निगम अधिकारियों को मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराता है (1.3)।

उत्तर में उपयोग — जवाबदेही के प्रश्नों और प्रणालीगत विफलता वाले केस स्टडी में: विश्लेषण में समस्या का नाम लीजिए, फिर कार्य-योजना में फ़ाइल-दर-फ़ाइल ज़िम्मेदारी तय कीजिए।

11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

एक सौर ऊर्जा संयंत्र एक वर्ष में बन सकता है; पर उसकी बिजली को किसी शहर तक ले जाने वाली लाइन बिछाने में पाँच वर्ष लग सकते हैं। कोई देश रिकॉर्ड गति से उत्पादन क्षमता बढ़ा ले, तब भी शाम सात बजे उसे कोयला जलाना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही घरों में बत्तियाँ और पंखे चलते हैं, उसी समय सूरज डूब जाता है, और दोपहर में बनी स्वच्छ बिजली हर बार उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती जिन्हें उसकी ज़रूरत होती है।

जब लाइनें भरी होती हैं, तो ग्रिड संचालकों के पास सौर संयंत्रों से उत्पादन घटाने को कहने के सिवा बहुत कम विकल्प बचता है। वह ऊर्जा बाद के लिए बचाकर नहीं रखी जाती; वह बस नष्ट हो जाती है। ऐसा हर घंटा नए संयंत्रों में निवेशकों का भरोसा कमज़ोर करता है।

लाइनें बिछाने में आने वाली बाधाएँ शायद ही कभी तकनीकी होती हैं। किसी के खेत में टावर खड़ा होता है, और एकमुश्त भुगतान ज़मीन के गिरे हुए मूल्य की भरपाई नहीं कर पाता। वन स्वीकृतियाँ, अदालती मामले और मुआवज़े के झगड़े समय-सीमा को इंजीनियरों की योजना से कहीं आगे खींच देते हैं। चूँकि उत्पादन स्थल, तार और उपभोक्ता शायद ही कभी एक ही अधिकार-क्षेत्र में आते हैं, इसलिए कोई परियोजना कई प्राधिकारियों की प्रतीक्षा में अटक सकती है, जिनमें से कोई भी देरी की कीमत नहीं चुकाता।

भंडारण को अक्सर समाधान बताया जाता है, और बैटरियाँ वाकई दोपहर की धूप को शाम में खिसका सकती हैं। लेकिन बैटरी तभी कमाई करती है जब नियम तय करें कि उसका उपयोग कौन कर सकता है, उसे भुगतान कैसे मिलेगा और उसके खाली पड़े रहने का जोखिम कौन उठाएगा। ऐसे नियमों के बिना भंडारण का लक्ष्य कागज़ पर पूरा हो सकता है, जबकि ग्रिड को बहुत कम लाभ मिलता है।

सीख यह है कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण उपकरणों जितना ही समन्वय की समस्या भी है। पैनल प्रणाली का दिखाई देने वाला हिस्सा है; वे मायने रखेंगे या नहीं, यह लाइनें, अनुबंध और अनुमतियाँ तय करती हैं।

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गद्यांश के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है?

- जब तक पारेषण लाइनें बराबरी पर न आ जाएँ, तब तक नए सौर संयंत्र नहीं बनाए जाने चाहिए।
- नए स्वच्छ उत्पादन का मूल्य लाइनों, भंडारण नियमों और समन्वय के धीमे, कम दिखाई देने वाले कार्य पर निर्भर करता है।
- शाम की माँग की समस्या बैटरियाँ अकेले हल कर देंगी।
- ऊर्जा संक्रमण में किसान मुख्य बाधा हैं।

Q2. लेखक का यह दावा कि भंडारण का लक्ष्य कागज़ पर पूरा हो सकता है जबकि ग्रिड को बहुत कम लाभ मिले, इस मान्यता पर टिका है कि

- यदि बैटरियों के उपयोग और भुगतान की व्यवस्था तय न हो, तो स्थापित बैटरियाँ बेकार पड़ी रह सकती हैं।
- बैटरियों की लागत पारेषण लाइनों से अधिक है।
- भंडारण प्रौद्योगिकी अभी परिपक्व नहीं हुई है।
- सरकारें अपने ऊर्जा लक्ष्य कभी पूरे नहीं करती।

Q3. गद्यांश से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

- (a) सौर उत्पादन में कटौती मुख्यतः इसलिए होती है कि संयंत्र खराब बने हैं।
- (b) लाइनें बनाने में देरी उत्पादन में निवेश को हतोत्साहित कर सकती है।
- (c) शाम को अब कोयले की आवश्यकता नहीं रही।
- (d) परीक्षण परियोजनाओं में देरी मुख्यतः इंजीनियरिंग समस्याओं के कारण होती है।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. आयात पर GST 25% बढ़कर ₹60,000 करोड़ और घरेलू लेनदेन पर GST 10% बढ़कर ₹1,32,000 करोड़ हो गया। कुल GST में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

- (a) 12.5%
- (b) 14.3%
- (c) 17.5%
- (d) 35%

Q5. पाँच अधिकारी P, Q, R, S और T सोमवार से शुक्रवार तक अलग-अलग दिन आपत्तियों की सुनवाई करते हैं। R बुधवार को सुनवाई करता है। P, Q के ठीक अगले दिन सुनवाई करता है। S सोमवार या शुक्रवार को सुनवाई नहीं करता। T, R से पहले सुनवाई करता है। शुक्रवार को कौन सुनवाई करता है?

- (a) Q
- (b) S
- (c) P
- (d) T

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (b) अंतिम अनुच्छेद कहता है कि पैनल मायने रखेंगे या नहीं, यह लाइनें, अनुबंध और अनुमतियाँ तय करती हैं। A ऐसी रुकावट की माँग करता है जो गद्यांश कभी प्रस्तावित नहीं करता; C और D अति-सामान्यीकरण हैं।

Q2: (a) यह अंतर तभी पैदा होता है जब नियमों के अभाव में बैटरियाँ अनुपयोगी रहें। B, C और D की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती।

Q3: (b) नष्ट हुए घंटे नए संयंत्रों में निवेशकों का भरोसा कमजोर करते हैं। A और D गद्यांश के विपरीत हैं, जो भरी हुई लाइनों और गैर-तकनीकी बाधाओं को दोष देता है; C कोयले के उदाहरण के विपरीत है।

Q4: (b) पिछले वर्ष: $60,000 \div 1.25 = 48,000$ और $1,32,000 \div 1.1 = 1,20,000$, कुल 1,68,000। इस वर्ष: 1,92,000। वृद्धि $24,000 \div 1,68,000 = 1/7 \approx 14.3\%$ । 17.5% गलती से 25% और 10% का औसत लेता है।

Q5: (c) T सोमवार या मंगलवार को है। Q-P लगातार दिन होने चाहिए, यानी सोमवार-मंगलवार या गुरुवार-शुक्रवार। सोमवार-मंगलवार लेने पर बुधवार से पहले T के लिए कोई दिन नहीं बचता, इसलिए Q गुरुवार और P शुक्रवार को है; तब S मंगलवार और T सोमवार को है।

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड B • 6 मिनट पठन (min read)

जिस राह पर आप चलते हैं, वही तय करती है कि आप कहाँ पहुँचेंगे।

विषय (Themes): सार्वजनिक जीवन में साधन और साध्य • वैधता, विधि की उचित प्रक्रिया और कानून का शासन • गांधी, यथार्थवाद और सत्ता की नैतिकता

फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन ब्रिटिश राज के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। तभी गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा में भीड़ ने थाने में आग लगा दी और बीस से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए। कुछ ही दिनों में गांधी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया। उनके कई साथी स्तब्ध रह गए; उस समय जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू ने बाद में अपनी आत्मकथा में माना कि इस फ़ैसले से उन्हें क्रोध आया था। स्वराज पास दिख रहा था, और एक गाँव की हिंसा उसे छोड़ देने का बहुत कमज़ोर कारण लगती थी। पर गांधी की दृष्टि अलग थी। जो आज़ादी ऐसी भीड़ के हाथों मिले जो इंसानों को ज़िंदा जला दे, वह वह आज़ादी नहीं होती जिसका वादा उन्होंने देश से किया था। वे मंज़िल नहीं छोड़ रहे थे; वे उस राह पर चलने से इनकार कर रहे थे जो किसी और मंज़िल की ओर जाती थी।

यही इस निबंध का दावा है। साध्य का महत्त्व है, और इससे इनकार करना नासमझी होगी। लेकिन साधन कोई ऐसी सवारी नहीं जिसे मंज़िल पर पहुँचकर दरवाज़े पर छोड़ दिया जाए। हम जहाँ पहुँचते हैं, उसकी बनावट में साधन घुले रहते हैं। गांधी ने 'हिंद स्वराज' (1909) में यह बात सीधे शब्दों में कही थी: "साधन को बीज और साध्य को पेड़ माना जा सकता है; और साधन तथा साध्य के बीच ठीक वैसा ही अटूट संबंध है जैसा बीज और पेड़ के बीच।" किसी तरीके से रास्ते में जो आदतें, संस्थाएँ और भरोसा बनता है, लक्ष्य पा लेने के बाद वही बचा रहता है। राह केवल पहुँचने की जगह को नहीं, चलने वाले को भी गढ़ती है।

भारत का संवैधानिक इतिहास काफ़ी हद तक इसी बात का पाठ है। हमारा संविधान केवल यह नहीं बताता कि क्या हासिल करना है; वह बार-बार यह भी बताता है कि कैसे करना है: कार्रवाई से पहले सूचना, दंड से पहले सुनवाई, और हर निर्णय के लिखित कारण। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 की "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" स्वयं भी उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए। यह फ़ैसला सीधे आपातकाल (1975-77) के अनुभव से निकला था, जब अनुशासन, कार्यकुशलता और जनसंख्या नियंत्रण जैसे लक्ष्यों के लिए अधिकार निलंबित किए गए, विरोधियों को जेल में डाला गया और नसबंदी अभियान में ज़ोर-ज़बरदस्ती हुई, जिसे बाद में शाह आयोग ने दर्ज किया। लक्ष्य बेतुके नहीं थे; साधनों ने उन्हें ही नष्ट कर दिया। सरकार 1977 का चुनाव हार गई, परिवार नियोजन पर बरसों तक ज़बरदस्ती का दाग़ लगा रहा, और संसद ने चवालीसवाँ संशोधन पारित किया ताकि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित न किए जा सकें।

यह प्रलोभन मिटा नहीं है, बस उसका रूप बदल गया है। दिसंबर 2019 में हैदराबाद पुलिस ने एक युवा पशु-चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के चार आरोपियों को गोली मार दी। लोगों ने पुलिसवालों पर फूल बरसाए। 2022 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित, न्यायमूर्ति वी.एस. सिरपुरकर की अध्यक्षता वाले जाँच आयोग ने पाया कि मुठभेड़ गद्दी गई थी और सिफ़ारिश की कि पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुक़दमा चले। अब वे चारों दोषी थे या नहीं, यह किसी अदालत में कभी सिद्ध नहीं होगा, और जनता को यह सबक मिला कि न्याय वही है जिस पर गुस्साई भीड़ ताली बजाए। नवंबर 2024 में दंडात्मक तोड़फोड़ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती और किसी का घर केवल इसलिए नहीं गिरा सकती कि उस पर अपराध का आरोप है। आज की ख़बरों में इसके शांत रूप भी दिखते हैं। साफ़-सुथरी मतदाता सूची एक वैध लक्ष्य है, पर मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए थोक में दाख़िल फ़ॉर्म 7, जिनकी जाँच का आदेश अब चुनाव आयोग ने दिया है, ऐसी सूची छोड़ जाएँगे जिस पर किसी को भरोसा न हो। और जैसा आज 'द हिंदू' का संपादकीय कहता है, सुरक्षा के नाम पर महिलाओं पर कफ़रू और पाबंदियाँ उनकी रक्षा उसी स्वतंत्रता को छीनकर करती हैं जिसे बचाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी।

हर उदाहरण में ढर्रा एक ही है। शॉर्टकट को उसके लक्ष्य के नाम पर सही ठहराया जाता है, पर वह अपने पीछे कुछ छोड़ जाता है: एक नज़ीर, थाने की एक आदत, नागरिक के मन में एक डर, और हारे हुए पक्ष के लिए नियमों पर से भरोसा उठा लेने का एक कारण। साधन उस उद्देश्य से अधिक जीते हैं जिसके नाम पर उन्हें अपनाया गया था। गांधी के सबसे निष्ठावान शिष्य मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 'बर्मिंघम जेल से पत्र' (1963) में इसमें एक दूसरी चेतावनी जोड़ी: "नैतिक साध्य पाने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग ग़लत है। पर अब मुझे यह भी कहना होगा कि अनैतिक साध्य को बचाए रखने के लिए नैतिक साधनों का प्रयोग भी उतना ही ग़लत है, शायद उससे भी अधिक।" सही प्रक्रिया किसी अन्यायपूर्ण लक्ष्य को पवित्र नहीं बना देती। राह और मंज़िल को साथ-साथ परखना होगा।

विरोधी पक्ष को उसकी पूरी ताकत के साथ सुनना चाहिए। यथार्थवादी कहते हैं कि राजनीति हिंसा के प्रबंधन का नाम है, और साफ़ हाथ एक विलासिता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को छल, गुप्तचरों और बल के प्रयोग की सलाह देता है। मैक्स वेबर ने 1919 में 'राजनीति एक पेशे के रूप में' विषय पर अपने व्याख्यान में तर्क दिया कि जो राजनेता केवल 'आस्था की नैतिकता' पर चलता है और परिणामों की अनदेखी करता है, उसका अंतःकरण भले साफ़ रहे, उसका नगर जल सकता है। इतिहास भी उदाहरण देता है। 1971 में भारत के बल-प्रयोग ने एक नरसंहार को रोकने और बांग्लादेश के निर्माण में मदद की। नेल्सन मंडेला ने 1961 में सशस्त्र संघर्ष का रास्ता तब चुना, जब शार्पविल नरसंहार और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पर प्रतिबंध ने हर वैध दरवाज़ा बंद कर दिया था। गांधी के अपने तरीके भी हमेशा कोमल नहीं थे: बी.आर. आंबेडकर ने 1932 का पूना समझौता गांधी के आमरण अनशन के दबाव में स्वीकार किया था, और बाद में उस अनशन को दबाव डालकर मनवाने का तरीका बताया।

ये आपत्तियाँ वास्तविक हैं, पर ये विषय-वाक्य को काटती नहीं, उसे और निखारती हैं। इनमें से कोई यह सिद्ध नहीं करती कि साधन मायने नहीं रखते। ये बस यह दिखाती हैं कि साधन का चुनाव स्वयं एक नैतिक निर्णय है, जिसे सावधानी से करना होता है। 1971 में बल का प्रयोग एक राज्य ने, कानून के दायरे में, सामूहिक हत्याएँ कर रही सेना के विरुद्ध किया, और उद्देश्य पूरा होते ही वह रुक गया। मंडेला ने हथियार तभी उठाए जब वैध रास्ते बंद थे, और राष्ट्रपति बनकर उन्होंने बंदूक से शासन करने के बजाय उन्हीं रास्तों को फिर से बनाया। आंबेडकर ने दूसरी ओर से यही रेखा खींची। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान सभा से कहा कि जहाँ संवैधानिक तरीके उपलब्ध हों, वहाँ सत्याग्रह समेत असंवैधानिक तरीके "अराजकता के व्याकरण के सिवा कुछ नहीं" हैं। यह भी साधनों के बारे में ही एक तर्क है: लोकतंत्र में वैध राह मौजूद है, इसलिए उसी पर चलने का दायित्व और बड़ा है। एक लोक सेवक के लिए यह सबकुछ कसौटियों में बदल जाता है। क्या मैं यह क्रदम खुलेआम उचित ठहरा सकता हूँ? क्या यह उपलब्ध रास्तों में सबसे कम नुकसान वाला है? अगर मैं ग़लत निकला तो क्या इसकी समीक्षा हो सकेगी और इसे पलटा जा सकेगा? क्या यह उन संस्थाओं को मज़बूत करेगा या कमज़ोर, जो मेरे बाद भी बनी रहेंगी?

भारत स्वतंत्रता तक एक लोकतंत्र के रूप में पहुँचा, तो इसका एक कारण वह राह भी थी जिस पर वह चला। जन-भागीदारी, खुली बहस और स्वेच्छा से दंड स्वीकार करने पर टिके आंदोलन ने ऐसे नेता दिए जो आदेश देने के बजाय लोगों को समझाने के आदी थे, और ऐसी जनता दी जो अपेक्षा करती थी कि उससे पूछा जाए। जिन देशों की मुक्ति-सेनाएँ ही आगे चलकर शासक सेनाएँ बन गईं, उनमें से कई इतने भाग्यशाली नहीं रहे। गांधी जयंती पर उद्देश्य उन्हें आलोचना से परे संत बना देना नहीं, बल्कि उनके केंद्रीय दावे को गंभीरता से लेना है। 1924 में 'यंग इंडिया' में उन्होंने लिखा था: "जैसे साधन, वैसा साध्य।" जो राज्य न्याय चाहता है, उसे उचित प्रक्रिया से होकर वहाँ पहुँचना होगा; जो समाज सुरक्षा चाहता है, उसे स्वतंत्रता के रास्ते वहाँ पहुँचना होगा; और जो नागरिक बेहतर देश चाहता है, उसे वह देश उन्हीं तरीकों से बनाना होगा जिन्हें वह अपने विरुद्ध इस्तेमाल होते देखकर भी स्वीकार कर सके। जो राह हम चुनते हैं, वह हमारी मंज़िल से अलग नहीं होती। अंततः वही राह हमारी मंज़िल बन जाती है।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): चुनाव आयोग ने थोक में दाखिल फ़ॉर्म 7 (नाम हटाने की आपत्तियों) की जाँच के आदेश दिए; कर्नाटक ने ERO को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्रवाई को कहा; द हिंदू का संपादकीय: असुरक्षित सार्वजनिक स्थानों का उत्तर महिलाओं पर पाबंदियाँ नहीं हो सकतीं; गांधी जयंती पर इकोनॉमिक टाइम्स का संपादकीय लेख: युद्धों के दौर में अहिंसा वैधता की पूँजी है; इराक़ ने मिलिशिया को अपने हथियार राज्य को सौंपने के लिए जून 2027 की समय-सीमा तय की